



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272953
CG-DL-E-30052026-272953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948

No. 378]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISHTHA 8, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

सं. 48/2026 -सीमाशुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 419(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन नियमों को सीमा शुल्क (भारत और ओमान सल्तनत के बीच व्यापक आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत वस्तु की उत्पत्ति का संकल्प) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम 01 जून, 2026 को लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (क) “करार” से तात्पर्य भारत गणराज्य की सरकार और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच दिनांक 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहभागिता करार है;
- (ख) “परिशिष्ट” से तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्टों से है;
- (ग) “जलीय कृषि”, जिसमें समुद्री कृषि भी शामिल है, का अर्थ है मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियन, अन्य जलीय अकशेरुकी और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती, अंडे, फ्राई, फिंगरलिंग और लार्वा जैसे बीज भंडार से, उत्पादन बढ़ाने के लिए पालन-पोषण या विकास प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करके, जैसे नियमित स्टॉकिंग, उनका पोषण, उनकी शिकारियों से सुरक्षा करना;
- (घ) “वाहक” से तात्पर्य वायु, समुद्री या भूमि परिवहन के लिए किसी भी वाहन से है। हालाँकि, उत्पाद का परिवहन बहुविध परिवहन के माध्यम से किया जा सकता है;
- (ङ) “सीआईएफ मूल्य” से तात्पर्य आयात बंदरगाह पर वाहक से उत्पाद को उतारते समय निर्यातक को वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत से है, जिसमें उत्पाद की लागत, बीमा और उत्पाद को निर्दिष्ट गंतव्य बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए आवश्यक भाड़ा शामिल है। मूल्यांकन जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VII और सीमा शुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा;
- (च) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है:
- भारत से निर्यात के लिए, वाणिज्य विभाग या समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी; और भारत में आयात के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) या समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी; और
 - ओमान के लिए, वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय और सीमा शुल्क महानिदेशालय, रॉयल ओमान पुलिस या समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य प्राधिकरण;
- (छ) “सीमा शुल्क प्रशासन” का अर्थ है:
- भारत के लिए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) या ऐसे सीमा शुल्क प्रशासन का उत्तराधिकारी; और
 - ओमान के लिए, सीमा शुल्क महानिदेशालय, रॉयल ओमान पुलिस या ऐसे सीमा शुल्क प्रशासन का उत्तराधिकारी;
- (ज) “सीमा शुल्क मूल्य” से तात्पर्य उत्पाद के उस मूल्य से है जो जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद VII, जिसमें इसकी टिप्पणी और पूरक प्रावधान शामिल हैं, और सीमा शुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार निर्धारित किया गया है;
- (झ) “एक्स वर्क्स कीमत” से तात्पर्य उस पार्टी में उत्पादक को उत्पाद के लिए भुगतान की गई कीमत से है जहां अंतिम कार्य या प्रसंस्करण किया जाता है, बशर्ते कि कीमत में उपयोग की गई सभी सामग्रियों का मूल्य शामिल हो;
- (ञ) “फ्री-ऑन-बोर्ड (एफओबी) मूल्य” से तात्पर्य निर्यात के नामित बंदरगाह पर वाहक पर उत्पाद लाने के समय निर्यातक को वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत से है, जिसमें उत्पाद की लागत और उत्पाद को वाहक पर लाने के लिए आवश्यक सभी लागतें शामिल हैं;
- (ट) “फंजिबल उत्पाद या सामग्री” से तात्पर्य उन उत्पादों या सामग्रियों से है जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विनिमेय हैं और जिनके गुण मूलतः समान हैं;

- (ठ) “सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (GAAP)” से तात्पर्य किसी पक्षकार के क्षेत्र में राजस्व, व्यय, लागत, परिसंपत्तियों और देनदारियों के अभिलेखन, सूचना के प्रकटीकरण और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में पर्याप्त आधिकारिक समर्थन की मान्यता प्राप्त आम सहमति से है। इन सिद्धांतों में सामान्य अनुप्रयोग के व्यापक दिशानिर्देशों के साथ-साथ विस्तृत मानक, प्रथाएं और प्रक्रियाएं भी शामिल हो सकती हैं;
- (ड) “अप्रत्यक्ष सामग्री” से तात्पर्य किसी उत्पाद के उत्पादन, परीक्षण या निरीक्षण में प्रयुक्त सामग्री, या भवनों के रखरखाव, या उत्पाद के उत्पादन से संबंधित उपकरणों के संचालन में प्रयुक्त सामग्री से है, जो भौतिक रूप से उत्पाद में समाहित नहीं होती है, जिसमें शामिल हैं:
- (i) ईंधन और ऊर्जा;
 - (ii) औजार, डाई और मोल्ड;
 - (iii) औजार और भवनों के रखरखाव में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे और सामग्री;
 - (iv) उत्पादन में प्रयुक्त या औजार और भवनों के संचालन में प्रयुक्त स्नेहक, ग्रीस और मिश्रण सामग्री;
 - (v) दस्ताने, चश्मे, जूते, वस्त्र, सुरक्षा औजार और आपूर्ति;
 - (vi) उत्पादों के परीक्षण या निरीक्षण के लिए प्रयुक्त औजार, यंत्र और आपूर्ति;
 - (vii) उत्प्रेरक और विलायक; और
 - (viii) कोई अन्य सामग्री जो उत्पाद में शामिल नहीं है, लेकिन जिसके उपयोग को उत्पादों के उत्पादन में उस उत्पादन का एक हिस्सा होने के रूप में उचित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है;
- (ढ) “जारीकर्ता प्राधिकरण” से तात्पर्य प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहचाने और नामित सरकारी प्राधिकरण (यों) या एजेंसी (यों) से है, जिसे करार के लागू होने से पहले अधिसूचित किया गया हो और समय-समय पर संशोधित किया गया हो;
- (ण) “कानूनी संस्था” से तात्पर्य लागू कानूनों और विनियमों के तहत विधिवत गठित या अन्यथा संगठित किसी भी कानूनी इकाई से है, चाहे वह लाभ के लिए हो या अन्यथा, और चाहे वह निजी स्वामित्व वाली हो या सरकारी स्वामित्व वाली, जिसमें कोई निगम, ट्रस्ट, साझेदारी, संयुक्त उद्यम, एकल स्वामित्व या संघ शामिल है;
- (त) “विनिर्माण” से तात्पर्य किसी भी प्रकार के कार्य या प्रसंस्करण, या विशिष्ट प्रक्रियाओं से है;
- (थ) “सामग्री” से तात्पर्य किसी उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले या उसमें भौतिक रूप से समाहित किसी भी घटक, कच्चे माल, अवयव या भाग से है;
- (द) “गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री” से तात्पर्य ऐसी किसी भी सामग्री से है जिसका मूल देश पक्षकार के अलावा कोई अन्य देश हो (आयातित गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री), ऐसी कोई भी सामग्री जिसका मूल निर्धारित नहीं किया जा सकता (अनिर्धारित मूल) या ऐसी सामग्री जो इन नियमों के अनुसार मूल सामग्री की श्रेणी में नहीं आती हो;
- (ध) “उत्पत्ति सामग्री” से तात्पर्य उन सामग्रियों से है जो इन नियमों के अनुसार उत्पत्ति सामग्री के रूप में योग्य हैं;

- (न) “वरीयता शुल्क (टैरिफ) व्यवहार” से तात्पर्य अनुलग्नक 2क (भारत की विशिष्ट शुल्क प्रतिबद्धताओं की अनुसूची) और अनुलग्नक 2ख (ओमान की विशिष्ट शुल्क प्रतिबद्धताओं की अनुसूची) में प्रत्येक पक्षकारकी अनुसूची के अनुसार उत्पत्ति उत्पाद पर लागू सीमा शुल्क दर से है;
- (प) “उत्पादक” से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी उत्पाद के उत्पादन में संलग्न है;
- (फ) “उत्पाद” से तात्पर्य उस वस्तु से है जो उगाना, पालना, खनन, कटाई, मछली पकड़ना, मत्स्यपालन, फँसाना, शिकार करना, निष्कर्षण या विनिर्माण द्वारा प्राप्त की जाती है, भले ही इसका उपयोग बाद में किसी अन्य विनिर्माण कार्य में किया जाना हो;
- (ब) “उत्पादन” से तात्पर्य किसी उत्पाद को उगाना, खेती करना, पालना, खनन, कटाई, चुनना, प्रजनन, निष्कर्षण, एकत्र करना, मछली पकड़ना, खेती करना, मत्स्य पालन, फँसाना, शिकार करना, पकड़ना, विनिर्माण और प्रसंस्करण, संयोजन या इनमें से किसी भी संयोजन से है;
- (भ) “पक्षकार” से तात्पर्य भारत गणराज्य की सरकार या ओमान सल्तनत की सरकार से है, और इन्हें सामूहिक रूप से “पक्षकार” कहा जाएगा;
- (म) “टैरिफ वर्गीकरण” से तात्पर्य एचएस के अनुसार किसी उत्पाद का वर्गीकरण है, जिसमें इसके सामान्य व्याख्यात्मक नियम और व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ शामिल हैं;
- (य) “क्षेत्रीय समुद्र” से तात्पर्य उन जलक्षेत्रों से है जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि सम्मेलन, 1982 के अनुसार पक्षकारों द्वारा परिभाषित आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक फैले हुए हैं; और
- (र) “गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों का मूल्य” का अर्थ है उपयोग की गई गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों के आयात के समय सीमा शुल्क मूल्य, यानी सीआईएफ मूल्य या, यदि यह ज्ञात नहीं है और पता नहीं लगाया जा सकता है, तो किसी पक्षकार के क्षेत्र में सामग्रियों के लिए भुगतान की गई पहली पता लगाने योग्य कीमत।

3. आवेदन एवं व्याख्या.- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) शुल्क वर्गीकरण का आधार एचएस है; और
- (ख) इन नियमों में निर्दिष्ट कोई भी लागत एवं मूल्य,

उत्पाद के उत्पादन वाले पक्षकार के क्षेत्र में लागू जीएएपी के अनुसार दर्ज किया एवं अनुरक्षित किया जाएगा।

4. उत्पत्ति मानदंड.- (1) इस करार के प्रयोजनों के लिए, किसी उत्पाद को किसी पक्षकार में उत्पन्न माना जाएगा और वह अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि:

- (क) वह नियम 5 के अनुसार उस पक्षकार के क्षेत्र में पूर्णतः प्राप्त या उत्पादित किया गया हो; या
- (ख) अनुलग्नक-ख में दिए गए उत्पाद विशिष्ट नियमों (पीएसआर) के अनुसार उस पर पर्याप्त कार्य या उत्पादन किया गया हो।

(2) उत्पादक के पास अनुलग्नक-ख में दिए गए पीएसआर में उत्पाद के मूल्यवर्धन मानदंड की गणना के लिए निम्नलिखित दो विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का विकल्प है:

- (क) बिल्ड-डाउन विधि

(एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य) - (गैर-उत्पत्ति सामग्री का मूल्य)

वीए =

× 100

(एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य)

(ख) बिल्ड-अप विधि:

(उत्पत्ति सामग्री का मूल्य + प्रत्यक्ष श्रम लागत + प्रत्यक्ष ओवरहेड लागत)

वीए = _____ × 100

एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य

“वीए” का तात्पर्य उत्पाद में प्रतिशत के रूप में व्यक्त मूल्यवर्धन से है।

(3) बिल्ड-डाउन विधि के मामले में, गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों का मूल्य निम्न होगा:

(क) सामग्रियों के आयात के समय सीआईएफ मूल्य; या

(ख) उस पक्षकार के क्षेत्र में अज्ञात मूल की सामग्रियों के लिए भुगतान की गई सबसे पहली निर्धारित कीमत, जहाँ कार्य या प्रसंस्करण होता है।

(4) बिल्ड-अप विधि के मामले में:

(क) मूल सामग्री का मूल्य निम्न से मिलकर बनेगा:

(i) सामग्री की लागत;

(ii) माल दुलाई और बीमा।

(ख) प्रत्यक्ष श्रम लागत में निम्न शामिल होंगे:

(i) मजदूरी;

(ii) पारिश्रमिक;

(iii) विनिर्माण प्रक्रिया से संबंधित अन्य कर्मचारी लाभ।

(ग) प्रत्यक्ष ओवरहेड लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं:

(i) उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित अचल संपत्ति मदे (बीमा, कारखाने का किराया और पट्टा, भवनों पर मूल्यह्रास, मरम्मत और रखरखाव, कर और बंधक पर ब्याज);

(ii) संयंत्र और औजार का पट्टा और ब्याज भुगतान;

(iii) कारखाने की सुरक्षा;

(iv) बीमा (उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त संयंत्र, औजार और सामग्री);

(v) उपयोगिताएँ (ऊर्जा, बिजली, पानी और अन्य उपयोगिताएँ जो उत्पाद के उत्पादन से सीधे संबंधित हैं);

(vi) अनुसंधान, विकास, डिजाइन और इंजीनियरिंग;

(vii) डाई, मोल्ड, टूलिंग और संयंत्र और उपकरणों का मूल्यह्रास, रखरखाव और मरम्मत;

- (viii) रॉयल्टी या लाइसेंस (उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त पेटेंट मशीनों या प्रक्रियाओं या उत्पाद के निर्माण के अधिकार से संबंधित);
- (ix) सामग्रियों और उत्पादों का निरीक्षण और परीक्षण;
- (x) कारखाने में भंडारण और प्रबंधन;
- (xi) रिसाइक्लेबल अपशिष्टों का निपटान;
- (xii) कच्चे माल के मूल्य की गणना में लागत तत्व, अर्थात् बंदरगाह और निकासी शुल्क तथा शुल्क योग्य घटक के लिए भुगतान किए गए आयात शुल्क।

(5) उप-नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी, निर्यात से पहले अंतिम विनिर्माण निर्यातक पक्षकार में होना चाहिए।

5. पूर्णतः प्राप्त या उत्पादित उत्पाद.- इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित उत्पादों को किसी पक्षकार के क्षेत्र में पूर्णतः प्राप्त या उत्पादित माना जाएगा;--

- (क) पौधे और पौधों से प्राप्त उत्पाद, जिनमें फल, फूल, सब्जियां, वृक्ष, समुद्री शैवाल, कवक, शैवाल और जीवित पौधे शामिल हैं, जो वहां उगाए, खेती किए, काटे, तोड़े या एकत्रित किए गए हों;
- (ख) वहां पैदा हुए और पाले गए जीवित पशु;
- (ग) वहां पैदा हुए या पाले गए जीवित पशुओं से प्राप्त उत्पाद;
- (घ) उस पक्षकार की मिट्टी, जल, समुद्र तल या समुद्र तल के नीचे की उपमृदा से निकाले गए खनिज उत्पाद और प्राकृतिक संसाधन;
- (ङ) वहाँ किए गए शिकार, फँसाने, मछली पकड़ने या मत्स्यपालन, संग्रहण या पकड़ने से प्राप्त उत्पाद;
- (च) किसी पोत द्वारा उसके प्रादेशिक समुद्र के बाहर से प्राप्त समुद्री मत्स्य पालन और अन्य समुद्री उत्पाद, या किसी पक्षकार के साथ पंजीकृत, दर्ज या लाइसेंस प्राप्त और उसके देश का ध्वज फहराने वाले कारखाने के जहाज द्वारा उत्पादित उत्पाद;
- (छ) समुद्री मत्स्य पालन और अन्य समुद्री उत्पादों के अलावा, किसी भी पक्षकार के महाद्वीपीय शेल्फ या अनन्य आर्थिक क्षेत्र के समुद्र तल या उपमृदा से प्राप्त उत्पाद;
- (ज) उस पक्षकार के क्षेत्र में किए गए उपभोग या विनिर्माण कार्यों से उत्पन्न अपशिष्ट या स्क्रेप (कीमती धातुओं को छोड़कर), जो केवल कच्चे माल के निपटान या पुनर्प्राप्ति के लिए उपयुक्त हो; और
- (झ) उस पक्षकार के क्षेत्र में विशेष रूप से उप-अनुच्छेद (क) से (ज) में निर्दिष्ट उत्पादों से उत्पादित उत्पाद।

6. न्यूनतम मूल्य.- (1) नियम 4 के उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियां जो उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर) में लागू होने पर आवश्यक टैरिफ वर्गीकरण परिवर्तन (सीटीसी) को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें उत्पत्ति वाली माना जाएगा यदि:

- (क) उनका कुल मूल्य निर्यातित उत्पाद के एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य के 10% से अधिक नहीं है; या
- (ख) एचएस के अध्याय 50-63 के अंतर्गत वस्त्र और परिधान के मामले में, गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री का वजन निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्रियों के कुल वजन के 10% या एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य के 10% से कम है।

(2) पूर्णतः प्राप्त उत्पाद के मामले में, निर्यातित उत्पाद के एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य के 10% से अधिक का न्यूनतम मूल्य अनुमत है।

(3) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, इस नियम के अंतर्गत प्राप्त न्यूनतम मूल्य को अनुलग्नक-ख में निर्दिष्ट लागू मूल्य निर्धारण हेतु गैर-उत्पत्ति सामग्री के मूल्य निर्धारण में शामिल किया जाएगा।

7. न्यूनतम या अपर्याप्त संचालन एवं प्रक्रियाएँ.- इन नियमों में निहित कुछ भी बात के होते हुए भी, किसी उत्पाद को किसी पक्षकार में उत्पन्न हुआ उत्पाद मात्र इसलिए नहीं माना जाएगा कि उस पक्षकार के क्षेत्र में गैर-उत्पत्ति वाली सामग्रियों पर निम्नलिखित में से एक या अधिक संचालन किए गए हैं;--

- (क) परिवहन और भंडारण के दौरान उत्पादों को अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए संचालन (जैसे सुखाना, जमाना या पिघलाना, खारे पानी में रखना, क्षतिग्रस्त भागों को हटाना) और अन्य समान संचालन;
 - (ख) पैकेजिंग में बदलाव, पैकेजों को खोलना और जोड़ना;
 - (ग) धुलाई, सफाई और धूल, ऑक्साइड, तेल, पेंट या अन्य आवरणों को हटाना;
 - (घ) साधारण संयोजन क्रियाएं, लेबलिंग, प्रेसिंग, सफाई या ड्राई क्लीनिंग, पैकेजिंग क्रियाएं, या इनमें से कोई भी संयोजन;
- स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सामान्य" से तात्पर्य ऐसी गतिविधि से है जिसके लिए न तो विशेष कौशल की आवश्यकता होती है और न ही विशेष रूप से निर्मित या स्थापित मशीनों, उपकरणों या यंत्रों की;
- (ङ) कपड़ों को लंबाई या चौड़ाई में काटना और हेमिंग करना, या सिलाई या ओवरलॉकिंग करना, जिन्हें आसानी से किसी विशेष व्यावसायिक उपयोग के लिए अभिप्रेत के रूप में पहचाना जा सकता है;
 - (च) वस्त्रों के लिए: ट्रिमिंग या सिलाई द्वारा जोड़ना, लूपिंग, लिंकिंग या स्ट्रैप, बैंड, बीड्स, डोरियां, रिंग और आईलेट्स जैसे सहायक वस्तुओं को जोड़ना; इस्त्री करना या प्रेसिंग कार्य;
 - (छ) साधारण रंगाई और पॉलिशिंग;
 - (ज) अनाज और चावल का छिलका उतारना, आंशिक या पूर्ण ब्लीचिंग, पॉलिशिंग और ग्लेजिंग;
 - (झ) चीनी को रंगने या चीनी की गांठें बनाने की क्रियाएँ;
 - (ञ) फलों, मेवों और सब्जियों से छिलके उतारना और गुठलियाँ व खोल निकालना;
 - (ट) छिलके अलग करना, कुचलना, निचोड़ना, काटने का कार्य, मसलना और हड्डियाँ निकालना;
 - (ठ) धार तेज करना, साधारण पीसना या साधारण काटना और पुनः पैकेजिंग करना;
 - (ड) सामान्य क्रियाएँ जैसे धूल हटाना, छानना, छांटना, वर्गीकरण करना, श्रेणीकरण करना, मिलान करना, चीरा लगाना, मोड़ना, कुंडलित करना या कुंडलित करना;
 - (ढ) बोटलों, डिब्बों, फ्लास्कों, थैलों, बक्सों, डिब्बों में साधारण रूप से रखना, कार्ड या बोर्ड पर चिपकाना और अन्य सभी साधारण पैकेजिंग क्रियाएँ;
 - (ण) उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर चिह्न, लेबल, लोगो और अन्य विशिष्ट चिह्न लगाना या छापना;

- (त) उत्पादों का साधारण मिश्रण, चाहे वे विभिन्न प्रकार के हों या नहीं;
- (थ) केवल पानी या किसी अन्य पदार्थ से पतला करना जिससे उत्पाद के गुणों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हो;
- (द) किसी वस्तु के भागों को जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बनाना या उत्पादों को भागों में विभाजित करना;
- (ध) पशुओं का वध करना; या
- (न) सामान्य परीक्षण, अंशांकन, निरीक्षण या प्रमाणन

(2) नियम 4 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संचालन या प्रक्रियाओं को किसी उत्पाद को अधिमान्य व्यवहार के लिए पात्रता निर्धारित करते समय विचार में लिया जा सकता है, बशर्ते कि उत्पाद पर पर्याप्त कार्य या उत्पादन में उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संचालन या प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य संचालन या प्रक्रियाएं शामिल हों, या उप-नियम (1) में निर्दिष्ट संचालन या प्रक्रियाओं के संयोजन में हों।

(3) प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्पाद को केवल ऐसी उत्पादन या मूल्य निर्धारण पद्धति के आधार पर मूल उत्पाद नहीं माना जाएगा, जिसके संबंध में साक्ष्यों की प्रबलता के आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि इसका उद्देश्य इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करना था।

8. द्विपक्षीय संचय.- (1) किसी पक्षकार के क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद जिनका उपयोग दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में किसी उत्पाद के उत्पादन में तैयार उत्पादों के लिए सामग्री के रूप में किया जाता है, उन्हें दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उत्पन्न सामग्री माना जाएगा जहाँ तैयार उत्पाद का निर्माण हुआ है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, अंतिम उत्पादन प्रक्रिया नियम 7 में वर्णित न्यूनतम या अपर्याप्त संचालन से परे होनी चाहिए।

9. पैकेज, पैकिंग सामग्री और कंटेनर- (1) खुदरा बिक्री के लिए जिन पैकेजों, पैकिंग सामग्रियों और कंटेनरों में किसी उत्पाद को खुदरा बिक्री के लिए पैक किया जाता है, जब उन्हें सामंजस्यपूर्ण प्रणाली की व्याख्या के लिए सामान्य नियम के नियम 5(ख) के अनुसार उत्पाद के साथ वर्गीकृत किया जाता है, तो यह निर्धारित करने में उन्हें अनदेखा किया जाएगा कि क्या किसी उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-उत्पत्ति वाली सामग्री उक्त उत्पाद पर लागू सीटीसी के अधीन हैं।

(2) जहाँ कहीं भी ऐसा उत्पाद मूल्यवर्धन के अधीन है, खुदरा बिक्री के लिए जिन पैकेजों, पैकिंग सामग्रियों और कंटेनरों में उत्पाद को पैक किया जाता है, उनके मूल्य को उत्पाद के मूल्यवर्धन की गणना में मूल या गैर-मूल, जैसा भी मामला हो, के रूप में ध्यान में रखा जाएगा।

(3) किसी उत्पाद के परिवहन या शिपमेंट के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कंटेनर और पैकिंग सामग्री को उत्पाद की उत्पत्ति निर्धारित करने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

10. सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजार.- (1) प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उत्पाद के साथ वर्गीकृत और वितरित किए गए सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजार, जो मानक व्यापार प्रथा के अनुसार उत्पाद के मानक सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजार का हिस्सा हैं, को संबंधित उत्पाद का मूल और हिस्सा माना जाएगा। हालांकि, यह निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर है;--

- (क) सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजार उत्पाद से अलग से बिल में शामिल नहीं किए जाते;
- (ख) सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजारों की मात्रा और मूल्य उत्पाद के लिए सामान्य हैं; और

- (ग) नियम 4 के अनुसार उत्पाद के मूल्यवर्धन की गणना करते समय सहायक औजार, अतिरिक्त पुर्जे या औजारों के मूल्य को मूल या गैर-मूल सामग्री के रूप में ध्यान में रखा जाएगा।

11. अप्रत्यक्ष सामग्री.- अप्रत्यक्ष सामग्री को उसके उत्पादन स्थान की परवाह किए बिना मूल सामग्री माना जाएगा।

12. लेखांकन पृथक्करण.- (1) प्रत्येक पक्षकार यह सुनिश्चित करेगा कि विनिमेय उत्पादों या सामग्रियों को मूल उत्पाद माना जाए या नहीं, इसका निर्धारण सामान्यतः प्रत्येक उत्पाद या सामग्री के भौतिक पृथक्करण द्वारा किया जाएगा; या, किसी कठिनाई की स्थिति में, उत्पादन करने वाले पक्षकार के GAAP में मान्यता प्राप्त या उत्पादन करने वाले पक्षकार द्वारा स्वीकृत, औसत, अंतिम-आगमन, प्रथम-निकास, या प्रथम-आगमन, प्रथम-निकास जैसी सूची प्रबंधन विधि का उपयोग किया जाएगा।

(2) विनिमेय उत्पादों या सामग्रियों के लिए सूची प्रबंधन विधि का उपयोग पार्टी के वित्तीय वर्ष के दौरान जारी रहेगा और इसे उस पार्टी में लागू GAAP के अनुसार रिकॉर्ड, लागू और बनाए रखा जाएगा जिसमें उत्पाद का निर्माण किया जाता है। चुनी गई सूची प्रबंधन विधि में निम्नलिखित होना चाहिए:--

- (क) मूल और गैर-मूल सामग्रियों के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति देना, जिसमें अधिग्रहित या स्टॉक में रखी गई अनिश्चित मूल की सामग्रियां भी शामिल हैं; और
- (ख) बारह महीनों की प्रासंगिक लेखा अवधि में यह सुनिश्चित करना कि भौतिक रूप से अलग की गई सामग्रियों की तुलना में अधिक उत्पादों को मूल उत्पाद का दर्जा न मिले।

(3) भंडार प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने वाला उत्पादक, संबंधित पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए आवश्यक प्रणाली के संचालन संबंधी अभिलेख रखेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने निर्यातकों से यह अपेक्षा कर सकता है कि इस नियम में निर्धारित स्टॉक प्रबंधन विधि का अनुप्रयोग पूर्व अनुमति के अधीन होगा।

13. प्रत्यक्ष खेप.- (1) किसी पक्षकार का मूल उत्पाद इन नियमों के अंतर्गत प्रत्यक्ष खेप के मानदंडों को पूरा करता हुआ तब माना जाएगा जब वह:--

- (क) उस पक्षकार के क्षेत्र से दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में सीधे परिवहन किया जाता है; या
- (ख) एक या एक से अधिक गैर-पक्षकार के क्षेत्र से होकर पारगमन के उद्देश्य से परिवहन किया जाता है, बशर्ते कि:
- (i) उत्पाद गैर-पक्षकार के क्षेत्र में सीमा शुल्क नियंत्रण में रहें और गैर-पक्षकार के क्षेत्र में व्यापार या उपभोग में प्रवेश न करें;
- (ii) उत्पादों पर अनलॉडिंग, रीलोडिंग या उन्हें अच्छी स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य न किया जाए; और
- (iii) पारगमन भौगोलिक कारणों और केवल परिवहन आवश्यकताओं से संबंधित विचारों के आधार पर उचित हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने का साक्ष्य आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क अधिकारियों को अनुरोध पर, बिल ऑफ लैडिंग/एयरवे बिल और निर्यात करने वाले पक्षकार से आयात करने वाले पक्षकार तक के मार्ग को कवर करने वाले किसी अन्य प्रासंगिक परिवहन दस्तावेज़ को प्रस्तुत करके दिया जाएगा, जिसमें लागू होने पर पारगमन देश भी शामिल है।

(3) आयातकर्ता अनुरोध किए जाने पर पारगमन देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो:

- (क) उत्पादों का सटीक विवरण;
- (ख) उत्पादों को उतारने और फिर से चढ़ाने की तिथियां और, जहां लागू हो, उपयोग किए गए जहाजों या परिवहन के अन्य साधनों के नाम; और
- (ग) यह प्रमाणित करना कि उत्पाद गैर-पक्षकार के क्षेत्र में सीमा शुल्क नियंत्रण में रहे और गैर-पक्षकार के देश में व्यापार या वाणिज्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया।

14. उत्पत्ति का प्रमाण.- (1) किसी पक्षकार के देश में उत्पन्न होने वाले और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों के लिए, निर्यातित उत्पाद की उत्पत्ति का प्रमाण निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से प्रदान किया जाएगा;--

- (क) नियम 15 में निर्दिष्ट जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी प्रारूप में उत्पत्ति प्रमाण पत्र, जिस पर निर्यातक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा हस्ताक्षर और मुहर लगी हो:--
 - (i) जब तक किसी भी पक्षकार द्वारा निर्यातक के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहर लगाने की प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती, तब तक निर्यातक को जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मुद्रित उत्पत्ति प्रमाण पत्र पर मैनुअल रूप से हस्ताक्षर और मुहर लगानी चाहिए; और
 - (ii) यदि तकनीकी कठिनाइयों के कारण जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, तो जारीकर्ता प्राधिकारी की आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया मुद्रित उत्पत्ति प्रमाण पत्र;
- (ख) जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया और नियम 34 के अनुसार पारस्परिक रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा आदान-प्रदान किया गया पूर्णतः डिजिटाइज्ड उत्पत्ति प्रमाण पत्र (ई-प्रमाण पत्र); या
- (ग) नियम 35 के अनुसार, पक्षकारों द्वारा सहमति होने पर, उत्पत्ति घोषणा।

(2) निर्यातक पक्षकार के देश में उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से बारह महीने तक वैध रहेगा।

(3) आयातक पक्षकार के देश में प्रचलित प्रक्रियाओं के अनुसार उत्पत्ति प्रमाण पत्र को उस पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को प्रस्तुत किया जाएगा।

15. उत्पत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ - (1) उत्पत्ति प्रमाण पत्र अनुलग्नक-सी में दिए गए प्रारूप के अनुसार होगा।

(2) उत्पत्ति प्रमाण पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा।

(3) मूल प्रमाण पत्र पर प्रत्येक जारीकर्ता कार्यालय के लिए अलग-अलग एक विशिष्ट, अनुक्रमिक क्रमांक अंकित होगा, जिसे निर्यातक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मूल प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में, इस पर एक क्यूआर कोड भी अंकित होगा।

(4) मूल प्रमाण पत्र प्रत्येक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इस पर जारीकर्ता प्राधिकारी की आधिकारिक मुहर लगी होगी।

(5) मूल प्रमाण पत्र केवल एक आयात घोषणा के लिए मान्य होगा और इसमें एक या अधिक उत्पाद शामिल हो सकते हैं।

(6) वाणिज्यिक चालान संख्या और तिथि या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज मूल प्रमाण पत्र में इस उद्देश्य के लिए आरक्षित बॉक्स में अंकित किए जाएंगे।

(7) मूल प्रमाण पत्र अपनी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(8) असाधारण परिस्थितियों में, आयातकर्ता पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा अधिमान्य शुल्क व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से, मूल प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी उसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि समय सीमा का पालन न करने का कारण अप्रत्याशित घटना या निर्यातक के नियंत्रण से परे अन्य वैध कारण हों और उत्पाद उक्त मूल प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले आयात किए गए हों।

(9) निर्यातक द्वारा मूल प्रमाण पत्र आयातक को भेजा जाएगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र मैन्युअल रूप से जारी किया गया है, तो सीमा शुल्क अधिकारी इसकी मूल प्रति की मांग कर सकते हैं।

(10) मूल प्रमाण पत्र पर न तो कोई मिटाना और न ही कोई अतिरिक्त जानकारी अंकित करना अनुमत होगा। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र के स्थान पर एक नया मूल प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।

(11) मूल प्रमाण पत्र निर्यात की तिथि से पूर्व या उसके पाँच कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। यद्यपि, असाधारण परिस्थितियों में, यदि अनैच्छिक त्रुटियों या चूक, या किसी अन्य वैध कारण से मूल प्रमाण पत्र निर्यात की तिथि से पूर्व या उसके पाँच कार्य दिवसों के भीतर जारी नहीं किया गया है, तो मूल प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जा सकता है। प्रमाण पत्र के बॉक्स 4 में "पूर्वव्यापी रूप से जारी" शब्द अंकित होने चाहिए और जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा उन असाधारण परिस्थितियों के लिखित कारण भी दर्ज किए जाने चाहिए जिनके कारण प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया गया है। मूल प्रमाण पत्र शिपमेंट की तिथि से बारह महीनों के भीतर पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जा सकता है।

(12) मूल प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति की चोरी, गुम होने या नष्ट होने की स्थिति में, उत्पादक, निर्यातक या उनका अधिकृत प्रतिनिधि जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित रूप में मूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रतिलिपि उनके पास मौजूद निर्यात दस्तावेजों के आधार पर बनाई जाएगी और इस पर "प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि" (मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर) और मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि अंकित होगी। मूल प्रमाण पत्र की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि मूल प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जारी की जाएगी। निर्यातक चोरी, गुम होने या नष्ट होने की सूचना तुरंत सक्षम प्राधिकारी को देगा और इस करार के तहत निर्यात के लिए मूल प्रमाण पत्र का उपयोग न करने का वचन देगा।

(13) यदि मूल प्रमाण पत्र आयातित उत्पादों से मेल खाता है, तो आयात बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्रशासन को उत्पादों के आयात की औपचारिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मूल प्रमाण पत्र के बीच मामूली विसंगतियाँ स्वतः ही मूल प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं करेंगी। टाइपिंग की गलतियाँ या फॉर्मेटिंग की गलतियाँ मामूली विसंगतियों के अंतर्गत आती हैं, बशर्ते कि ये मामूली त्रुटियाँ मूल प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या उसमें दी गई जानकारी की सटीकता को प्रभावित न करें। अधिक स्पष्टता के लिए, जारीकर्ता प्राधिकरण के नमूना स्टाम्प में पाई गई विसंगतियों को मामूली विसंगति नहीं माना जाएगा।

16. तृतीय-पक्षकार की बिलिंग.- (1) आयात करने वाला पक्षकार किसी उत्पाद के निर्यातक या उत्पादक द्वारा बिल जारी न किए जाने के मात्र कारण से अधिमान्य शुल्क व्यवहार के दावे को अस्वीकार नहीं करेगा, बशर्ते कि वह इन नियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(2) उत्पाद के निर्यातक को "तृतीय-पक्षकार की बिलिंग" का उल्लेख करना होगा और मूल प्रमाण पत्र के बॉक्स 7 में अनुलग्नक-ग में दिए गए प्रारूप के अनुसार बिल जारी करने वाली कंपनी का नाम, पता, बिल की तिथि और संख्या तथा देश का नाम अंकित करना होगा।

17. प्राधिकारी.- (1) मूल प्रमाण पत्र किसी पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

(2) प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार के देश के सक्षम प्राधिकारियों और सीमा शुल्क प्रशासन को इन नियमों के अंतर्गत मूल प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित जारीकर्ता प्राधिकारी के अधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगा।

(3) पक्षकार मूल प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों के नमूना स्टाम्पों का आदान-प्रदान करेंगे।

(4) प्रत्येक पक्षकार अपने देश के प्राधिकारियों के नाम, पदनाम और संपर्क विवरण (पता, फोन नंबर और ई-मेल) सूचित करेगा;--

- (क) दूसरे पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारियों के नमूना स्टाम्प निम्न प्रकार से जिसे भेजे जाने चाहिए:--
- (i) भारत: सीबीआईसी, राजस्व विभाग, भारत सरकार।
- (ii) ओमान: वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय या ओमान द्वारा अधिसूचित कोई अन्य संबंधित प्राधिकारी।
- (ख) पक्षकार द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के संदर्भ निम्न प्रकार से जिसे भेजे जाने चाहिए:--
- (i) भारत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार।
- (ii) ओमान: वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय।
- (ग) वे जिनसे दूसरे पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकरण के नमूना डाक टिकट प्राप्त किए जाएंगे:--
- (i) भारत: वाणिज्य विभाग, भारत सरकार।
- (ii) ओमान: वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय।
- (घ) वे जिनसे दूसरे पक्षकार द्वारा जारी मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए संदर्भ प्राप्त होंगे:--
- (i) भारत: सीबीआईसी, राजस्व विभाग, भारत सरकार।
- (ii) ओमान: वाणिज्य, उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्रालय।

(5) अधिकारियों की मुहरों में किसी भी परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षकार को तुरंत दी जाएगी।

(6) प्रत्येक पक्षकार, इस करार के उस पक्षकार के लिए लागू होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए अपने सक्षम प्राधिकरण के अंतर्गत एक या अधिक संपर्क बिंदु नामित करेगा और दूसरे पक्षकार को उस संपर्क बिंदु या उन संपर्क बिंदुओं के संपर्क विवरण की सूचना देगा। प्रत्येक पक्षकार उन संपर्क विवरणों में किसी भी परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षकार को तुरंत देगा।

(7) प्राधिकारियों या एजेंसियों में किसी भी परिवर्तन की सूचना दूसरे पक्षकार को तुरंत दी जाएगी। ऐसे परिवर्तन दूसरे पक्षकार (प्राप्तकर्ता पक्षकार) द्वारा सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के बाद प्रभावी होंगे। प्राप्तकर्ता पक्षकार सूचना प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर ऐसी सूचना की प्राप्ति की पुष्टि करेगा।

18. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन- (1) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, उत्पाद का अंतिम उत्पादक या निर्यातक प्रत्येक पक्षकार के कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, निर्यात करने वाले पक्षकार के जारी करने वाले प्राधिकारी को निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत या जमा करेगा,;-

- (क) जारीकर्ता प्राधिकारी को एक आवेदन और साथ में मूलतः उत्पादन को साबित करने वाले सहायक दस्तावेज;
- (ख) अनुलग्नक-ए में संदर्भित न्यूनतम सूचना आवश्यकताओं का सेट, जिस किसी भी रूप या प्रारूप में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और चालान के विवरण के अनुरूप हो;
- (ग) उत्पाद के मूलतः उत्पादन को साबित करने के लिए आवश्यक संबंधित वाणिज्यिक चालान या अन्य दस्तावेज; तथा
- (घ) एचएस कोड, विवरण, मात्रा और निर्यात किए गए उत्पाद का मूल्य यदि इसे पहले से न गया है।

(2) एक ही मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में घोषित एक से अधिक वस्तुओं को अनुमति दी जा सकती, बशर्ते कि प्रत्येक अलग से अपनी पात्रता पूरी करता हो।

(3) जारी करने वाला प्राधिकारी किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा दायर न्यूनतम आवश्यक जानकारी का विशेष रूप से पूर्व-निर्यात सत्यापन करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का उपयोग कर सकता है। इस सत्यापन में, जारी करने वाले प्राधिकारी के विवेक पर, विस्तृत लागत पत्रक प्राप्त करने और कारखाने का दौरा करने जैसे तरीके शामिल हो सकते हैं।

19. अभिलेख का रखाव- (1) जारीकर्ता प्राधिकारी न्यूनतम अपेक्षित जानकारी और सहायक दस्तावेज उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

(2) आयातक आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार आयात से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखेगा। मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र और इस तरह के आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेजों को जारी करने की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष के लिए जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं और प्रत्येक पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार उसे सुरक्षित रखा जाएगा।

20. निर्यातक या उत्पादक के दायित्व- (1) केवल उन मामलों में जहां कोई उत्पाद इन नियमों के तहत प्रावधानों के अनुरूप है। निर्यातक या उत्पादक नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक जानकारी और निर्यात करने वाले पक्षकार में जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं के अनुसार मूलतः उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई भी निर्यातक या उत्पादक जो किसी उत्पाद के मूलतः उत्पादन के निर्धारण से संबंधित किसी भी सारवान जानकारी का झूठा प्रतिनिधित्व करता है, उसे निर्यातक पक्षकार के कानूनों और विनियमों के तहत दंडित किया जा सकता है।

(3) निर्यातक या उत्पादक नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में यथा निर्दिष्ट, न्यूनतम आवश्यक जानकारी और सहायक कागजातों को मूल प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख जो भी पहले हो या निर्यात की तारीख से कम से कम पाँच वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित रखेगा।

(4) मूलतः उत्पादन के निर्धारण के उद्देश्य, इन नियमों के अन्तर्गत मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र या मूलतः उत्पादन की घोषणा के लिए आवेदन करने वाला निर्यातक या उत्पादक वरियाता परक व्यवहार की अर्हता पूरी करने वाले उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति से संबंधित सभी यथोचित वाणिज्यिक लेखा दस्तावेजों (साथ ही साथ आपूर्ति कर्ताओं से प्राप्त सुसंगत कागज और दस्तावेजों) को तथा ऐसे उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री से संबंधी वाणिज्यिक और सीमा शुल्क कागजातों, जिसमें ऐसी सामग्री से संबंधित खर्च का ब्यौरा, अन्य ओवरहेड्स तथा अन्य सुसंगत तथ्य जैसे की लाभ और संबंधित घटक आते हैं, को मूलतः उत्पादन के प्रमाणपत्र के जारी किए जाने या निर्यात किए जाने की तारीख, इनमें से जो पहले हो, से कम से कम पाँच वर्ष से सुरक्षित रखेगा। निर्यातक या उत्पादक, निर्यात कर्ता पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, जहां मूलतः उत्पादन से संबंधित प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका हो, निरीक्षण के लिए ऐसे कागजातों को तत्परता उपलब्ध कराएगा ताकि ऐसे उत्पाद के मूलतः उत्पादन का सत्यापन किया जा सके।

(5) निर्यातक या उत्पादक नियम 22 की शर्तों के तहत निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी और आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के यथा बीच सहमत सत्यापन दौरे के लिए किसी भी अनुरोध को इनकार नहीं करेगा। सत्यापन दौरे के लिए सहमति देने में कोई भी विफलता इस समझौते के तहत दावा किए गए अधिमान्य टैरिफ व्यवहार से इनकार करने का कारण हो सकेगी।

(6) यदि निर्यातक या उत्पादक के पास यह मानने का कारण है कि मूलतः उत्पादनका प्रमाण पत्र गलत जानकारी पर

आधारित है जो मूलतः उत्पादन प्रमाण पत्र की सटीकता या वैधता को प्रभावित कर सकता है, तो वे प्रत्येक उत्पाद के मूलतः उत्पादन की स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी भी परिवर्तन के बारे में जारी करने वाले प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करने के लिए बाध्य होंगे, जिस पर मूल प्रमाण पत्र लागू होता है।

21. उत्पत्ति के प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण- (1) अधिमान्य टैरिफ व्यवहार का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, आयातक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को आयात करने वाली पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार, सहायक दस्तावेज और आवश्यकतानुसार अन्य दस्तावेजों सहित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि नियम 15 में निर्दिष्ट उत्पत्ति के प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना अधिमान्य व्यवहार के लिए दावा किया जाता है, तो आयात करने वाले पक्षकार का सीमा शुल्क प्रशासन अधिमान्य टैरिफ व्यवहार से इनकार कर सकता है और अपने किसी भी तौर-तरीके में गारंटी का अनुरोध कर सकता है या राजकोषीय हितों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कोई कार्रवाई कर सकता है, और ऐसा आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अधीन और उसके अनुसार आयात कार्यों को पूरा करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में किया जा सकता।

(3) प्रत्येक पक्षकार, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार, उत्पाद को अधिमान्य व्यवहार नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए प्रदान करेगा, यदि कोई उत्पाद उस पक्षकार के क्षेत्र में आयात किए जाने पर एक मूल उत्पाद के रूप में योग्य होता। उत्पाद का आयातक, आयात की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर या आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर, आयात के समय उत्पाद को अधिमान्य व्यवहार नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि आयातक औपचारिक रूप से आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को घोषणा करता है कि विचाराधीन उत्पाद आयात करने वाली पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार एक मूल उत्पाद के रूप में पात्रता रखता है।

(4) प्रत्येक पक्षकार यह प्रदान करेगा कि यदि आयातक के पास यह मानने का कारण है कि अधिमान्य टैरिफ व्यवहार का दावा गलत जानकारी पर आधारित है जो उत्पत्ति प्रमाण पत्र की सटीकता या वैधता को प्रभावित कर सकता है, तो आयातक आयात दस्तावेज को सही करेगा, और किसी भी सीमा शुल्क का भुगतान करेगा और, यदि लागू हो, तो जुर्माना बकाया होगा।

22. उत्पत्ति के प्रमाण पत्र का सत्यापन- (1) उत्पत्ति के प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी की प्रामाणिकता और शुद्धता का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, आयात करने वाला पक्षकार निम्नलिखित के माध्यम से सत्यापन कर सकता है;

- (क) आयातक से जानकारी के लिए अनुरोध;
- (ख) उप-नियम (2) में प्रदान किए गए अनुसार निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से सहायता के लिए अनुरोध;
- (ग) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में एक निर्यातक या उत्पादक को लिखित प्रश्नावली;
- (घ) असाधारण परिस्थितियों में, दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में एक निर्यातक या एक उत्पादक के परिसर का दौरा; या
- (ङ) ऐसी अन्य प्रक्रियाएं जिससे पक्षकार सहमत हो।

(2) उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार;--

(क) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से यह सत्यापित करने में सहायता करने के लिए लिखित रूप में अनुरोध कर सकता है: -

(i) उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता;

(ii) उत्पत्ति के प्रमाण पत्र में निहित किसी भी जानकारी की सटीकता; या

(iii) सूचना और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता, जिसमें सामग्री, श्रम, अन्य ऊपरी खर्चों और किसी भी अन्य प्रासंगिक तत्व जैसे लाभ और संबंधित घटक से संबंधित लागतों का विवरण शामिल है जो नियम 4 के तहत उत्पाद के मूल निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं;

(ख) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित को प्रदान करेगा: -

(i) ऐसी सहायता क्यों मांगी जाती है;

(ii) उत्पत्ति का प्रमाण पत्र, या उसकी एक प्रति; तथा

(iii) ऐसी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कोई भी जानकारी और दस्तावेज।

(3) जहां तक संभव हो, सत्यापन करने वाले आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सत्यापन के निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुरोध करने से पहले, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार आयातक से आयातित उत्पाद की उत्पत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज मांगेंगे।

(4) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन प्राप्त करना आवश्यक समझता है, यह अपने लिखित अनुरोध में निर्दिष्ट करेगा कि क्या सत्यापन यादृच्छिक आधार पर है, या जानकारी की सत्यता संदेह में है। यदि उत्पत्ति का निर्धारण संदेह में है, आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी उत्पत्ति प्रमाण पत्र की सत्यता से संबंधित संदेह के लिए विस्तृत आधार प्रदान करेंगे।

(5) इन नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार उत्पत्ति के सत्यापन की कार्यवाही इस करार के अनुसार अधिमान्य टैरिफ के तहत घरेलू उपभोग के लिए पहले से ही मंजूरी दिए गए उत्पादों पर भी लागू होगी।

23. सत्यापन की प्रक्रिया- (1) नियम 22 के अनुसार किया गया कोई भी अनुरोध इस नियम में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और पारदर्शी, उद्देश्यपूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के लिए दावे की सत्यता को सत्यापित करना चाहता है, जिसमें इस तरह के दावे का आधार भी शामिल है, वह एक लिखित अनुरोध करेगा या उत्पाद के आयातक से जानकारी मांगने वाली प्रश्नावली भेजेगा।

(3) आयातक इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से दस कार्य दिवसों के भीतर सत्यापन अनुरोध या प्रश्नावली का जवाब देगा, यदि अनुरोध उत्पाद के संबंध में अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के दावे के संबंध में संदेह के आधार पर है और जानकारी और दस्तावेज जो इस तरह के दावे का आधार बनते हैं।

(4) जहां आयातक उप-नियम (3) में निर्धारित नियत तारीख तक अपेक्षित जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है या जहां आयातक से प्राप्त जानकारी और दस्तावेज यह निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त पाए जाते हैं कि मूल के संबंधित नियमों में निर्धारित मूल मानदंड पूरे हो गए हैं, आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध करेगा: -

- (क) उत्पत्ति प्रमाण पत्र और किसी भी सहायक दस्तावेज जैसे चालान, पैकिंग सूची, लदान बिल या वायुमार्ग बिल, आदि की एक प्रति प्रदान करके।
- (ख) यह निर्दिष्ट करके कि क्या किसी भी जालसाजी को खारिज करने के लिए उत्पत्ति प्रमाण पत्र की वास्तविकता के सत्यापन की आवश्यकता है, सहायक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम आवश्यक जानकारी मांगता है या उत्पत्ति के निर्धारण को सत्यापित करने का प्रयास करता है।

(5) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी उत्पत्ति प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता, प्रमाण पत्र में निहित जानकारी की सटीकता या अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक जानकारी की एक प्रति के साथ-साथ सहायक दस्तावेजों को सत्यापित करना चाहता है, जिसके आधार पर मूल का दावा किया गया था, तो आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को इसके लिए एक लिखित अनुरोध भेजेगा।

(6) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार का सीमा शुल्क प्रशासन उत्पत्ति के निर्धारण को सत्यापित करना चाहता है, आयात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक पक्ष के सक्षम अधिकारियों को एक प्रश्नावली भेजेगा, जिसे निर्यातक या उत्पादक को इस तरह की जांच या दस्तावेजों के लिए दी जाएगी, जैसा कि आवश्यक हो।

(7) निर्यातक पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से निम्नलिखित समय अवधि के भीतर आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा अनुरोध की गई जानकारी और दस्तावेज प्रदान करेगा:-

- (क) पंद्रह दिन, जहां अनुरोध मूल प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता से संबंधित है, जिसमें जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर भी शामिल है;
- (ख) तीस दिन, जहां अनुरोध न्यूनतम आवश्यक जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज की एक प्रति मांगता है; या
- (ग) नब्बे दिन, जहां अनुरोध उत्पाद की उत्पत्ति के निर्धारण की सटीकता के संदेह के आधार पर है। इस अवधि को आयात करने वाले पक्ष के सीमा शुल्क प्रशासन और निर्यातक पक्षकार के जारी करने वाले प्राधिकरण के बीच आपसी परामर्श से साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(8) यदि, उप-नियमों (5) और (6) के अनुसार सत्यापन प्रश्नावली के परिणाम प्राप्त करने पर, आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के पास विश्वास करने के कारण हैं और इसलिए आगे की जांच कार्रवाई या जानकारी का अनुरोध करना आवश्यक समझता है, आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को इस तथ्य को लिखित रूप में निर्यात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा। इस तरह के नए कार्यों के निष्पादन के लिए, या अतिरिक्त जानकारी की प्रस्तुति के लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगा।

(9) यदि, उप-नियम (5) और (6) के अनुसार सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने पर, आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सत्यापन यात्रा करना आवश्यक लगता है, तो वह निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को एक लिखित अनुरोध दे सकता है ताकि रिकॉर्ड की जांच करने की दृष्टि से निर्यातक या उत्पादक के परिसर में जाने की सुविधा मिल सके, उत्पादन प्रक्रियाओं, साथ ही सत्यापन के तहत उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले उपकरण और औजार की भी

जांच की जा सके।

(10) सत्यापन यात्रा के लिए अनुरोध, उप-नियम (5) और (6) में निर्दिष्ट सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। अनुरोध पाने वाली पार्टी यात्रा की तारीखों के बारे में तुरंत सूचित करेगा, लेकिन अनुरोध मिलने के पैंतालीस दिनों से ज्यादा देर नहीं करेगी, और अनुरोध करने वाली पार्टी तथा निर्यातक या उत्पादक को कम से कम इक्कीस दिनों का नोटिस देगी, ताकि यात्रा के लिए ज़रूरी व्यवस्था किया जा सके।

(11) निर्यात करने वाली पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी सत्यापन दौरे के दौरान आयात करने वाले पक्षकार के अधिकारियों के साथ होंगे। इस तरह की के दौरों में पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की भागीदारी शामिल हो सकती है। प्रत्येक पक्षकार विशेषज्ञों को नामित कर सकता है, जो तटस्थ होंगे और सत्यापन में उनकी कोई रुचि नहीं होगी। जब भी बाद वाले सत्यापन में शामिल कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक पक्षकार ऐसे विशेषज्ञों की भागीदारी से इनकार कर सकता है।

(12) दौरे में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को दौरे के समापन के साठ दिनों के भीतर "यात्रा के रिकॉर्ड" की सदस्यता लेनी होगी, जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी:

- (क) यात्रा की तारीख और स्थान;
- (ख) उत्पत्ति के प्रमाण पत्र की पहचान जिसके कारण सत्यापन हुआ;
- (ग) सत्यापन के तहत उत्पादों की पहचान;
- (घ) प्रतिभागियों की पहचान, जिसमें वे संस्थान भी शामिल हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं; तथा
- (ङ) कार्यवाही का एक रिकॉर्ड।

24. उत्पादों को बाहर भेजा जाना- उत्पादों की उत्पत्ति के बारे में उचित संदेह पर, आयात करने वाला पक्षकार, अपने कानूनों और विनियमों के अधीन और उनके अनुसार, उत्पादों को बाहर भेजने के लिए एक शर्त के रूप में निम्न की अपेक्षा कर सकता है:-

- (क) आयातक से अनुरोध करें कि वह अपने किसी भी तौर-तरीके में गारंटी प्रदान करे; या
- (ख) आयात कार्यों को पूरा करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में राजकोषीय हितों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई करना।

25. गोपनीयता- (1) आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग सत्यापन के तहत उत्पाद के संबंध में उत्पत्ति के निर्धारण के संबंध में निर्णय के लिए या इन नियमों के तहत मुद्दों से संबंधित कानूनी कार्यवाही के दौरान और प्रत्येक पक्षकार के संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार किया जा सकता है।

(2) प्रत्येक पक्षकार अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण से ऐसी जानकारी की सुरक्षा करेगा।

26. अधिमान्य व्यवहार से इनकार- (1) इन नियमों में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, आयात करने वाला पक्षकार अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के लिए दावे से इनकार कर सकता है, यदि;

- (क) आयात करने वाला पक्षकार यह निर्धारित करता है कि उत्पाद इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं;

- (ख) आयातक, निर्यातक या उत्पादक इन उत्पादक की प्रासंगिक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, जिसमें नियम 19, नियम 20 या नियम 23 शामिल हैं;
- (ग) उत्पत्ति का प्रमाण पत्र इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है; या
- (घ) निर्यातक पक्षकार नियम 23 के अनुसार आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को जवाब देने से इनकार करता है या विफल रहता है।

(2) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा उत्पत्ति का प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है, इसके कानूनों के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, अस्वीकृति के आधार वाले निर्णय की एक प्रति आयातक को सूचित की जाएगी।

27. उत्पत्ति के नियमों का अनुपालन करने वाले उत्पाद- यदि नियम 22 के तहत किया गया सत्यापन यह निर्धारित करता है कि उत्पाद इन नियमों के तहत मूल के नियमों का अनुपालन करते हैं, तो आयातक को अधिमान्य शुल्क से अधिक भुगतान किए गए शुल्क या आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार प्राप्त गारंटी जारी करने के लिए तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

28. अधिमान्य लाभों की संभावित बहाली- (1) जहां किसी उत्पाद के लिए अधिमान्य व्यवहार को आयातक पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा संभावित या पूर्वव्यापी रूप से अस्वीकार कर दिया गया है, निर्यातक या उत्पादक आयात करने वाले पक्षकार के भविष्य के निर्यात के संबंध में उप-नियम (2) में दी गई प्रक्रिया का आश्रय ले सकता है।

(2) ऐसा निर्यातक या उत्पादक निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए स्पष्ट रूप से यह दर्शाएगा कि करेगा कि विनिर्माण शर्तों को संशोधित किया गया था ताकि इन नियमों के तहत उत्पत्ति के नियमों की मूल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(3) निर्यातक पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को जानकारी भेजेगा जिसमें निर्यातक या उत्पादक द्वारा विनिर्माण स्थितियों में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या की जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद मूल मानदंड को पूरा करते हैं।

(4) यदि आवश्यक समझा जाता है, तो आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी, सूचना प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट निर्यातक या उत्पादक के दावों की सत्यता को संतुष्ट करने के लिए, उत्पादक के परिसर में सत्यापन यात्रा के लिए अनुरोध करेंगे।

(5). अधिमान्य लाभों की संभावित बहाली आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी, यदि निर्यातक या उत्पादक के दावों की सत्यता स्थापित की जाती है।

(6) यदि पक्षकारों के सक्षम प्राधिकारी विनिर्माण स्थितियों में संशोधन के बाद इन नियमों के तहत उत्पत्ति के नियमों को पूरा करने पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो वे निर्णय के लिए मामले को नियम 32 के तहत स्थापित उपसमिति को भेज सकते हैं।

29. अधिमान्य व्यवहार का अस्थायी निलंबन- (1) आयात करने वाला पक्षकार निर्यातक पक्षकार के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले उत्पाद के संबंध में अधिमान्य टैरिफ व्यवहार को निलंबित कर सकता है, जब निर्यात करने वाले पक्षकार में किसी निर्यातक या उत्पादक द्वारा इन नियमों के प्रावधानों का पालन करने में लगातार विफलता के कारण निलंबन उचित हो या सत्यापन के अनुरोध का जवाब देने के लिए निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी की ओर से लगातार विफलता के कारण निलंबन उचित हो।

(2) आयात करने वाला पक्षकार, किसी उत्पाद के लिए अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के निलंबन की तारीख के नब्बे दिनों के भीतर, निर्यातक पक्षकार को इस तरह के निलंबन के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

(3) निलंबन की अधिसूचना प्राप्त होने पर, निर्यातक पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी परामर्श का अनुरोध कर सकता है।

(4) परामर्श के कार्य को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचालित किया जा सकता है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस या व्यक्तिगत रूप से की गई बैठकें शामिल हैं, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो और इसमें संयुक्त सत्यापन भी शामिल हो सकता है।

(5) दोनों पक्षों के बीच परामर्शों और ऐसे उपायों के अनुसरण में जिनसे वे पारस्परिक रूप से सहमत हों, दोनों पक्षकार निम्नलिखित बातों का संकल्प लेंगे:-

(क) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ उत्पाद के लिए अधिमान्य टैरिफ व्यवहार बहाल करना;

(ख) एक या दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत उपायों के कार्यान्वयन के अधीन, संभावित प्रभाव के साथ उत्पाद के लिए अधिमान्य टैरिफ व्यवहार बहाल करना; या

(ग) नियम 28 के अंतर्गत उपलब्ध उपायों के अध्यक्षीन उत्पाद के लिए अधिमान्य टैरिफ व्यवहार के निलंबन को जारी रखें।

30. उत्पत्ति और दंड के नियमों के साथ उत्पादों का गैर-अनुपालन- (1) यदि नियम 22 के तहत सत्यापन मूल के नियमों के साथ उत्पादों के गैर-अनुपालन को स्थापित करता है, तो आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार शुल्क लगाए जाएंगे।

(2) प्रत्येक पक्षकार ऐसे उपायों को भी अपनाएगा या बनाए रखेगा जो अपने सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करते हैं, जिसमें मूल के नियम और इस समझौते के तहत अधिमान्य टैरिफ व्यवहार की पात्रता शामिल है।

31. प्रासंगिक तिथियाँ- इन नियमों में निर्दिष्ट समय अवधि की गणना उस तथ्य या घटना के बाद के दिन से लगातार दिन के आधार पर की जाएगी जिसका वे उल्लेख करते हैं।

32. सहयोग- (1) पक्षकार एतद्वारा सीटीजी के तहत इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उत्पत्ति के नियमों पर एक उपसमिति की स्थापना करते हैं।

(2) उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति में सक्षम प्राधिकारियों, सीमा शुल्क प्रशासन और पक्षकारों के जारी करने वाले प्राधिकरणों के अधिकारी शामिल होंगे।

(3) उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति इन नियमों के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सालाना कम से कम एक बार बैठक करेगी, जिसमें इन नियमों के तहत प्रक्रियाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए पारस्परिक क्षमता निर्माण को बढ़ाना और उत्पत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं का उपयोग करने के तरीकों और साधनों का पता लगाना शामिल है।

(4) उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति यह भी मूल्यांकन और निर्णय लेगी कि प्रत्येक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकरणों द्वारा उत्पत्ति का प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए या स्व-प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाया जाए। यदि कोई भी पक्षकार प्रथम नियमित समीक्षा सत्र के दौरान स्व-प्रमाणन का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है, तो इस मुद्दे को बाद की

समीक्षाओं के लिए तब तक स्थगित कर दिया जाएगा जब तक कि दोनों पक्षकार स्व-प्रमाणन प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए सहमत न हो जाएं।

(5) उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति किसी भी मामले को संयुक्त समिति को भेज सकती है।

33. परामर्श और संशोधन- पक्षकार उत्पत्ति के नियमों पर उपसमिति के माध्यम से परामर्श और सहयोग करेंगे, जैसा कि निम्न हेतु उपयुक्त है कि:-

(क) ये सुनिश्चित करें कि इन नियमों को प्रभावी और समान तरीके से लागू किया जाए; तथा

(ख) प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित मामलों में विकास को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में आवश्यक संशोधनों पर चर्चा करें।

34. उत्पाद मूल पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा का आदान-प्रदान- दोनों पक्षकार इन नियमों के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद मूल पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली विकसित करने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन को जारी करने के लिए।

35. मूल घोषणा- नियम 14 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, पक्षकार प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित, निर्यातक द्वारा की गई मूल घोषणा को पहचानने की अनुमति देने वाले प्रावधानों पर बातचीत करने, सहमत होने और लागू करने का प्रयास करते हैं।

[फा. सं. सीबीआईसी-15021/175/2023-आईसीडी (सीबीईसी)]

इंद्रजीत पांडा अवर सचिव

अनुलग्नक-क

[देखें:- नियम 18 के उप-नियम (1) का खंड (ख)]

(न्यूनतम आवश्यक जानकारी)

1. उत्पादक/निर्यातक/विउत्पादक का नाम और पता:
2. पंजीकरण संख्या:
3. मूलतः उत्पादन देश:
सभी लागत और मूल्य के आंकड़े अमेरिकी डॉलर (\$) या निर्यातक पक्षकार की राष्ट्रीय मुद्रा में दिखाए जाने हैं
4. निर्यात उत्पाद-वार सामान्य जानकारी:

क्र.सं.	निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण	मॉडल/ब्रांड	एचएस कोड	एफओबी/एक्स वर्क्स वैल्यू (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

5. उत्पाद-वार लागत जानकारी का विवरण (पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध प्रत्येक उत्पाद के लिए प्रस्तुत किया जाना है:

क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	ट	ठ	
क्रम संख्या और निर्यात किए गए उत्पाद का विवरण	घटक/इनपुट/सामग्री/भागों/उत्पाद-वार ब्रेक-अप											
	घटक, सामग्री, इनपुट, भागों या उत्पादन का विवरण	मात्रा और इकाई	यूनिट सीआईएफ मान	कुल सीआईएफ मूल्य = (मात्रा x इकाई मान)	एचएस कोड (कम से कम छह अंकों के स्तर पर)	आपूर्तिकर्ता का नाम और पता	घटक, सामग्री, इनपुट, भागों या उत्पादन की उत्पत्ति का देश	गैर-मूल सामग्री का कुल मूल्य	श्रम लागत	अन्य ओवरहेड लागत	लाभ	

कॉलम ज में, प्रविष्टि निम्नलिखित में से किसी एक के मूलतः उत्पादन संबंधी नियमों के अनुसार मूलतः उत्पादन वाले देश को इंगित करने के लिए की जाएगी:

- (i) भारत;
- (ii) ओमान; या
- (iii) गैर-मूल सामग्री।

6. गणना (एक पूरा करें)

- (i) एफओबी मूल्य या पूर्व कार्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादन में उपयोग की जाने वाली गैर-मूल सामग्री का मूल्य; या
- (ii) एफओबी मूल्य या पूर्व कार्य मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल सामग्री का मूल्य।

7. निर्माण प्रक्रिया का विवरण:

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी प्रदान की गई जानकारी सत्य और सही है।

जब भी आवश्यकता होगी, मैं अपने कारखाने/उत्पाद के निरीक्षण की अनुमति दूंगा और लागत रिकॉर्ड को अद्यतन बनाए रखने का भी वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर:

नाम:

शीर्षक/पदनाम:

कार्यालयीय उपयोग के लिए

ऊपर दिए गए विवरण की जांच कर ली गई है, आवेदक द्वारा रखे गए रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। इस साक्ष्य के आधार पर, आवेदक यह दावा करने के लिए पात्र है कि ये उत्पाद _____ से उत्पन्न हुए हैं जैसा कि इन नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में ऊपर क्रम संख्या 3 में दिखाया गया है।

स्थान और तारीख:

सरकारी स्टाम्प पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और नाम (इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है)

अनुलग्नक-ख

[देखें:- नियम 4 के उप-नियम (1) का खंड (ख)]

(उत्पाद विशिष्ट नियम)

1. परिभाषाएँ:-

इस अनुलग्नक के प्रयोजनों के लिए:

(क) "डब्ल्यूओ" का अर्थ है पूरी तरह से प्राप्त;

एक.

(ख) "सीसी" का अर्थ है कि उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-मूल सामग्री दो अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव से गुजरी है;

दो.

(ग) "सीटीएच" का अर्थ है कि उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-मूल सामग्रियों में चार अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव आया है;

तीन.

(घ) "सीटीएच" का अर्थ है कि उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सभी गैर-मूल सामग्रियों में छह अंकों के स्तर पर टैरिफ वर्गीकरण में बदलाव आया है;

चार.

(ङ) "पिघलाना और डालना" का अर्थ है कि उत्पाद को किसी एक या दोनों पक्षकारों के यहां पिघलाया और डाला गया होगा, जिसमें कच्चे माल को पहले लोहे या स्टील बनाने वाली भट्टी में तरल अवस्था में बदला जाता है, और फिर इसे प्रथम ठोस आकार में डाला जाता है;

पाँच.

(च) "वीए (एक्स)" का अर्थ है कि उत्पाद का नियम 4 (मूल मानदंड) की गणना के अनुसार मूल्यवर्धन हो गया है, जो (एक्स) प्रतिशत से कम नहीं है, चाहे बिल्ड-अप विधि या बिल्ड-डाउन विधि का उपयोग किया गया हो। हालांकि, यदि बिल्ड-अप विधि का उपयोग किया जाता है, तो वीए पाँच प्रतिशत अंक कम आयेगा। उदाहरण के लिए, यदि इस अनुलग्नक के तहत वीए आवश्यकता 40% है तो यह बिल्ड-डाउन विधि का उपयोग करके 40% या बिल्ड-अप विधि का उपयोग करके 35% हो सकती है।

उपर्युक्त के खंड (क) से (च) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी एचएस 71 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के मामले में, मूल्य संवर्धन एफओबी मूल्य के आधार पर होना चाहिए;

(छ) "अध्याय" का अर्थ है सामंजस्यपूर्ण प्रणाली का एक अध्याय;

छः.

(ज) "शीर्ष" का अर्थ एचएस के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या में पहले चार अंक हैं; और सात.

(झ) "उप शीर्ष" का अर्थ है एचएस के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या में पहले छह अंक।

2. समीक्षा -

दोनों पक्षकार इस समझौते के लागू होने के दो वर्ष के भीतर पीएसआर की समीक्षा करने पर सहमत हैं।

तालिका 1: उत्पाद-विशिष्ट नियम

एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम (पीएसआर)
अध्याय 1	जीवित पशु।	डब्ल्यूओ
अध्याय 2	मांस और खाद्य मांस अवशिष्ट।	डब्ल्यूओ
पूर्व अध्याय 3	मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकी।	डब्ल्यूओ
0306-0308	क्रस्टेशियंस, मोलस्क, और अन्य जलीय अकशेरुकी (जीवित, ताजा, या ठंडी वस्तुओं को छोड़कर)।	वीए 35%
अध्याय 4	डेयरी उत्पादन; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल के खाद्य उत्पाद, जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल न हो।	डब्ल्यूओ
अध्याय 5	पशु मूल के उत्पाद, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल न हो।	डब्ल्यूओ
अध्याय 6	हरे पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; फूल और ओर्नामेंटल फोइलें।	डब्ल्यूओ
अध्याय 7	खाने योग्य सब्जियां और कुछ जड़ें और कंद।	डब्ल्यूओ
उदाहरण अध्याय 8	खाने योग्य फल और मेवे; खट्टे फलों या खरबूजे का छिलका।	डब्ल्यूओ
80132	छिलका (काजू की गुठली)।	सीटीएसएच
अध्याय 9	काँफी, चाय, मैट और मसाले।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 10	अनाज।	डब्ल्यूओ
अध्याय 11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; मॉल्ट; स्टार्च; इनसुलिन; गेहूं का लस।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 12	तिलहन और ओलेगिनस फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; पुआल और चारा।	डब्ल्यूओ
उदाहरण अध्याय 13	लाख; गम्स, रेजिन, रेजिन और अन्य सब्जी रस और अर्क।	डब्ल्यूओ
1302	सब्जी के रस और अर्क।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 14	सब्जी प्लेटिंग सामग्री; सब्जी उत्पाद जो कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।	डब्ल्यूओ

अध्याय 15	जन्तु या वनस्पति वसा और तेल और उनके क्लीवेज उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 16	मांस उत्पाद, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकी, या कीड़ों के	सीटीएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 17	शर्करा और शर्करा कन्फेक्शनरी।	डब्ल्यूओ
1701	गन्ना या चुकंदर चीनी	सीटीएसएच + वीए 40%
1702	अन्य शर्करा।	सीटीएसएच + वीए 40%
1704	चीनी कन्फेक्शनरी।	सीटीएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 18	कोको और कोको उत्पाद।	डब्ल्यूओ
1803	कोको पेस्ट, चाहे वसा रहित हो या नहीं।	सीटीएच + वीए 40%
1804	कोकोआ मक्खन, वसा और तेल।	सीटीएच + वीए 40%
1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं होता है।	सीटीएच + वीए 40%
1806	चॉकलेट और अन्य खाद्य पदार्थ जिसमें कोको होता है।	सीटीएसएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 19	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध उत्पाद; पेस्ट्रीकुक के उत्पाद।	सीटीएच + वीए 40%
190110	माल्ट अर्क (शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त उत्पाद, जो खुदरा बिक्री के लिए रखा गया हो)।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190120	19.05 शीर्षक के बेकर्स के उत्पाद में काम आने वाला मिक्सचर और डो।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190190	अन्य (माल्ट अर्क; आटा, दलिया, भोजन, स्टार्च या माल्ट अर्क से तैयार खाद्य पदार्थ, जिसमें कोको नहीं होता है या वजन से 40% से कम होता है)।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190211	बिना पका हुआ पास्ता (अंडे युक्त)।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190219	अन्य (बिना पका हुआ पास्ता, मांस या अन्य के बिना भरा हुआ)।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190410	अनाज या अनाज उत्पादों के फूलने या भूनने से प्राप्त तैयार खाद्य पदार्थ।	(अध्याय 10 और 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190531	मीठे बिस्कुट।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)

190540	रस्क, टोस्टेड ब्रेड और इसी तरह के टोस्टेड उत्पाद।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
190590	अन्य (ब्रेड, पेस्ट्री, केक, बिस्कुट और अन्य बेकर के सामान, चाहे कोको युक्त हो या नहीं)।	(अध्याय 11 को छोड़कर सीसी) या (सीटीएच + वीए 40%)
उदाहरण अध्याय 20	सब्जियों, फलों, नट्स या पौधों के अन्य भागों के उत्पाद।	सीसी + वीए 40%
2007-2009	जैम, फ्रूट जेली, मुरब्बा, फल या अखरोट की प्युरी/पेस्ट, तैयार/संरक्षित फल या मेवे, जूस आदि।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 21	तैयार विविध खाद्य उत्पाद।	सीटीएच+ वीए 40%
उदाहरण अध्याय 22	पेय पदार्थ, स्पिरिट और सिरका।	डब्ल्यूओ
2201, 2202, पूर्व 2206, 2209	गैर-मादक पेय और सिरका।	सीटीएच + वीए 40%
उदाहरण 2207, उदाहरण 2208	चिकित्सा उपयोग के लिए Undenatured एथिल अल्कोहल।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; तैयार पशु चारा।	सीसी + वीए 40%
2308, 2309	पशु आहार के रूप में उपयोग की जाने वाली वनस्पति सामग्री/अपशिष्ट, पशु आहार में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की तैयारी।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प।	डब्ल्यूओ
अध्याय 25	नमक; सल्फर; पृथ्वी और पत्थर; पलस्तर सामग्री, चूना और सीमेंट।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 26	अयस्क, लावा और राख।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; विटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 28	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं के, रेडियोधर्मी तत्वों के या आइसोटोप के।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 29	कार्बनिक रसायन।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 30	फार्मास्युटिकल उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 31	उर्वरक।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 32	टैनिंग या रंगाई के अर्क; टैनिन और उनके डेरिवेटिव; रंग, रंगद्रव्य और अन्य रंग पदार्थ; पेंट और वार्निश; पोटीन और अन्य मैस्टिक; स्याही।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 33	आवश्यक तेल और रेजिनोइड्स; इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय संबंधी उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%

अध्याय 34	साबुन, कार्बनिक सतह-सक्रिय एजेंट, धुलाई संबंधी उत्पाद, लुब्रिकेटिंग उत्पाद, कृत्रिम मोम, तैयार मोम, पॉलिशिंग या स्कोअरिंग उत्पाद, मोमबत्तियां और इसी तरह के सामान, मॉडलिंग पेस्ट, "दंत मोम" और प्लास्टर के आधार के साथ वाले दंत संबंधी उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 35	एल्बुमिनोइडल पदार्थ; संशोधित स्टार्च; गोंद; एंजाइम।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 36	विस्फोटक; आतिशबाज़ी के उत्पाद; माचिस; पायरोफोरिक मिश्र धातु; कतिपय दहनशील उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 37	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामान।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 38	विविध रासायनिक उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 39	प्लास्टिक और उसके सामान।	सीटीएसएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 40	रबड़ और उसके सामान।	सीटीएसएच + वीए 40%
400110	- प्राकृतिक रबर लेटेक्स, चाहे पूर्व-वल्केनाइज्ड हो या नहीं।	डब्ल्यूओ
400121	- स्मोकड शीट्स।	डब्ल्यूओ
400122	- तकनीकी रूप से निर्दिष्ट प्राकृतिक रबर (टेसएनआर)।	डब्ल्यूओ
400129	अन्य (प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्चा, गुएयुले, चिकल और इसी तरह के प्राकृतिक मसूड़ों, प्राथमिक रूपों में या प्लेटों में, शीट्स या पट्टी, स्मोकड शीट और टीएसएनआर के अलावा)।	डब्ल्यूओ
अध्याय 41	कच्ची खाल और खाल (फरस्किन के अलावा) और चमड़ा।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 42	चमड़े की वस्तुएं; काठी और दोहन; यात्रा सामान, हैंडबैग और इसी तरह के कंटेनर; पशु आंत से बने सामान (शिल्क वार्म गट्स से भिन्न)।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 43	फुरस्किनस और कृत्रिम फर; उसके निर्माण।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 44	लकड़ी और लकड़ी की वस्तुएं; लकड़ी का कोयला।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 45	कॉर्क और कॉर्क की वस्तुएं।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 46	पुआल, एस्पार्टो या अन्य प्लेटिंग सामग्री के उत्पाद; टोकरी के बर्तन और विकरवर्क।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्यूलोसिक सामग्री का गूदा; बरामद (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 48	कागज और पेपरबोर्ड; कागज की लुगदी, कागज या पेपरबोर्ड की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 49	मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चित्र और मुद्रण उद्योग के अन्य उत्पाद; पांडुलिपियां, टाइपस्क्रिप्ट और योजनाएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 50	रेशम।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 51	ऊन, महीन या मोटे जानवरों के बाल; घोड़े के बाल यार्न और बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 40%

उदाहरण अध्याय 52	कपास।	सीटीएसएच + वीए 40%
5201	कपास, बिना कार्डेड या बिना धुना हुआ।	डब्ल्यूओ
5202	कपास अपशिष्ट (यार्न अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)।	डब्ल्यूओ
5203	कपास, कार्डेड या धुना हुआ।	डब्ल्यूओ
5204	सूती सिलाई धागा, चाहे उसे खुदरा बिक्री के लिए रखा जाए या न रखा जाए।	डब्ल्यूओ
अध्याय 53	अन्य वनस्पति वस्त्र फाइबर; पेपर यार्न और पेपर यार्न के बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 54	मानव निर्मित फिलामेंट्स; पट्टी और मानव निर्मित कपड़ा सामग्री की तरह।	सीटीएसएच + वीए 40%
540110	मानव निर्मित फिलामेंट्स (सिंथेटिक फिलामेंट का) का सिलाई धागा।	सीटीएसएच + वीए 35%
540120	मानव निर्मित तंतुओं (कृत्रिम फिलामेंट का) का सिलाई धागा।	सीटीएसएच + वीए 35%
540253	अन्य यार्न सिंगल, 50 टर्न प्रति मीटर (पॉलीप्रोपाइलीन के) से अधिक टर्न वाले।	सीटीएसएच + वीए 35%
540259	अन्य (एकल, प्रति मीटर 50 टर्न से अधिक टर्न वाले)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540261	अन्य यार्न, एकाधिक (मुड़ा हुआ) (नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड का)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540262	अन्य यार्न, कई मुड़े हुए (पॉलिएस्टर के)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540419	67 डेसिटेक्स या उससे अधिक के अन्य सिंथेटिक मोनोफिलामेंट्स।	सीटीएसएच + वीए 35%
540500	67 डेसिटेक्स या अधिक का कृत्रिम मोनोफिलामेंट।	सीटीएसएच + वीए 35%
540710	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े (नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड या पॉलिएस्टर के उच्च तप यार्न से प्राप्त)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540720	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े (पट्टी या इसी तरह से प्राप्त)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540730	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े (नोट 9 से खंड XI में निर्दिष्ट कपड़े)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540741	नायलॉन फिलामेंट के बुने हुए कपड़े (बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540742	नायलॉन फिलामेंट (रंगे) के बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
540743	नायलॉन फिलामेंट (विभिन्न रंगों के) के बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
540744	नायलॉन फिलामेंट के बुने हुए कपड़े (मुद्रित)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540751	टेक्चर्ड वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के अन्य बुने हुए कपड़े (बिना प्रक्षालित या प्रक्षालित)।	सीटीएसएच + वीए 35%

540752	टेक्चर्ड वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स (रंगे) के अन्य बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
540753	टेक्चर्ड वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स (विभिन्न रंगों के) के अन्य बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
540754	टेक्चर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स (प्रिन्टेड) के अन्य बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
540761	अन्य बुने हुए कपड़े (गैर-टेक्चर्ड वाले पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से 85% या उससे अधिक युक्त)।	सीटीएसएच + वीए 35%
540769	गैर-टेक्चर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के अन्य बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
पूर्व अध्याय 55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर।	सीटीएसएच + वीए 40%
550810	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (सिंथेटिक स्टेपल फाइबर के) का सिलाई धागा।	सीटीएसएच + वीए 35%
550820	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर (कृत्रिम स्टेपल फाइबर के) का सिलाई धागा।	सीटीएसएच + वीए 35%
551511	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े (मुख्य रूप से या पूरी तरह से विस्कोस रेयान के साथ मिश्रित)।	सीटीएसएच + वीए 35%
551512	पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर के अन्य बुने हुए कपड़े (मुख्य रूप से या पूरी तरह से मानव निर्मित फिलामेंट्स के साथ मिश्रित)।	सीटीएसएच + वीए 35%
5516	कृत्रिम स्टेपल फाइबर के बुने हुए कपड़े।	सीटीएसएच + वीए 35%
अध्याय 56	वैडिंग, फेल्ड और नॉनवाँवन; विशेष यार्न; सुतली; कॉर्डेज, रस्सियाँ और केबल और उसके सामान।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 57	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 58	विशेष बुने हुए कपड़े; गुच्छेदार कपड़ा कपड़े; फीता; टेपेस्ट्री; ट्रिमिंग; कढ़ाई।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 59	संसेचित, लेपित, ढके हुए या टुकड़े टुकड़े में कपड़ा कपड़े; औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त एक प्रकार के कपड़े की वस्तुएं।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 60	बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 61	परिधान और कपड़ों के सामान की वस्तुएं, बुना हुआ या क्रोकेटेड।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 62	परिधान और कपड़ों के सामान की वस्तुएं, जो बुना हुआ या क्रोकेटेड न हो।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 63	अन्य निर्मित कपड़े की वस्तुएं; सेट; पहने हुए कपड़े और पहने जा चुकी कपड़े की वस्तुएं; लत्ता।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 64	जूते, गैटर और इसी तरह; ऐसे वस्तुएं के कुछ हिस्से।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 65	हेडगियर और उसके हिस्से।	सीटीएच + वीए 40%

अध्याय 66	छतरियां, सूरज की छतरियां, चलने की छड़ी, सीट-स्टिक, चाबुक, सवारी-फसलें, और उसके हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 67	तैयार पंख और डाउन और पंखों या डाउन से बने लेख; कृत्रिम फूल; मानव बाल की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, एस्बेस्टस, अभ्रक या इसी तरह की सामग्री की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 69	सिरेमिक उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
उदाहरण अध्याय 70	कांच और कांच के बने पदार्थ।	सीटीएसएच + वीए 40%
7010	कार्बॉय, बोतलें, फ्लास्क, जार, बर्तन, शीशी, ampoules और अन्य कंटेनर, कांच के, माल के परिवहन या पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले एक प्रकार के; कांच के जार का संरक्षण; कांच के स्टॉपर्स, ढक्कन और अन्य क्लोजर।	सीटीएसएच + वीए 30%
उदाहरण अध्याय 71	प्राकृतिक या कस्चर्ड मोती, कीमती या अर्ध-कीमती रत्न, कीमती धातुएं, कीमती धातु से ढकी धातुएं, और उसके लेख; नकली आभूषण; सिक्का।	सीटीएसएच + वीए 40%
7102	हीरे, चाहे तराशे गये हों या नहीं, लेकिन जड़े या सेट न किए गये हों।	सीटीएसएच + वीए 6%
7103	कीमती रत्न (हीरे के अलावा)।	सीटीएसएच + वीए 20%
7106	चांदी (सोने या प्लैटिनम के साथ चढ़ाया चांदी सहित), बिना गढ़ा या अर्ध-निर्मित रूपों में, या पाउडर में।	सीटीएसएच + वीए 3% (विभिन्न मूल्यवर्ग में चांदी की छड़ों के लिए प्रमाणित ओमान/भारत अच्छी डिलीवरी)
710812	सोने के अन्य अगढ़त रूप।	प्रमाणित ओमान/भारत विभिन्न मूल्यवर्ग में अच्छी डिलीवरी सोने की छड़ें
711011	प्लैटिनम का बिना गढ़ा या पाउडर का रूप।	सीटीएसएच + वीए 3%
711019	अन्य रूपों में प्लैटिनम।	सीटीएसएच + वीए 3%
ex711311	चांदी का फिलाग्री काम (सादा)।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
उदाहरण 711311	रत्नों के साथ चांदी के आभूषण सेट (जड़े)।	सीटीएसएच + वीए 6%
उदाहरण 711311	चांदी के आभूषणों की अन्य वस्तुएं (सादा)।	सीटीएसएच + वीए 6%
उदाहरण 711311	सादे चांदी के आभूषणों के हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
उदाहरण 711319	सोने के आभूषण अनसेट।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
उदाहरण 711319	मोतियों से जड़े सोने के आभूषण।	सीटीएसएच + वीए 6%
उदाहरण 711319	हीरे जड़े सोने के आभूषण।	सीटीएसएच + वीए 7%

उदाहरण 711319	हीरे के अलावा कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण।	सीटीएसएच + वीए 6%
उदाहरण 711319	प्लैटिनम अनसेट के आभूषण।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
उदाहरण 711319	सादे सोने के आभूषणों के हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
उदाहरण 711319	अन्य कीमती धातु की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 3.5%
7118	सिक्के।	सीटीएच + 1.5% वीए
उदाहरण अध्याय 72	लोहा और इस्पात।	सीटीएसएच + वीए 40%
7206-7229	लोहा और इस्पात उत्पाद।	पिघलाएं और पक्षकारों में डालें
अध्याय 73	लोहे या स्टील की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 74	तांबा और उसकी वस्तुएं।	सीटीएच+वीए 40%
अध्याय 75	निकल और उसकी वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 76	एल्युमिनियम और उसकी वस्तुएं।	सीटीएच+वीए 45%
अध्याय 78	सीसा और उससे निर्मित वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 79	जस्ता और उससे निर्मित वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 80	टिन और उससे निर्मित वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 81	अन्य आधार धातु; सेरमेट्स; उससे निर्मित वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 82	उपकरण, उपकरण, कटलरी, चम्मच और कांटे, बस धातु के; बेस मेटल के उसके हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 83	बस धातु के विविध लेख।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; उसके कुछ हिस्से।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके हिस्से; साउंड रिकॉर्डर और रिप्रोड्यूसर, टेलीविजन छवि और साउंड रिकॉर्डर और पुनरोद्धार, और ऐसे लेखों के पुर्जे और सहायक उपकरण।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 86	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग-स्टॉक और उसके कुछ हिस्से; रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग और उसके हिस्सों; सभी प्रकार के मैकेनिकल (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) ट्रैफिक सिग्नलिंग उपकरण।	सीटीएसएच + वीए 40%
पूर्व अध्याय 87	रेलवे या ट्रामवे रोलिंग-स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, और उसके पुर्जे और सहायक उपकरण।	सीटीएच + वीए 45%
8716	ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 88	विमान, अंतरिक्ष यान और उसके कुछ हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 89	जहाज, नावें और तैरने वाली संरचनाएं।	सीटीएसएच + वीए 40%

अध्याय 90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमेटोग्राफिक, मापने, जाँच, परिशुद्धता, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपकरण और उपकरण; उसके हिस्से और सहायक उपकरण।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 91	दीवाल घड़ियाँ और घड़ियाँ और उसके हिस्से।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 92	संगीत वाद्ययंत्र; ऐसी वस्तुओं के पुर्जे और सहायक उपकरण।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 93	हथियार और गोला-बारूद; उसके हिस्से और सहायक उपकरण।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 94	फर्नीचर; बिस्तर, गद्दे, गद्दे के सपोर्ट, कुशन और इसी तरह के भरवां सामान; लैंप और प्रकाश फिटिंग, कहीं और निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं; प्रबुद्ध संकेत, प्रदीप्त संकेतक, प्रदीप्त नाम-प्लेट और इसी तरह; पूर्वनिर्मित इमारतें।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 95	खिलौने, खेल और खेल की आवश्यक वस्तुएं; उसके हिस्से और सहायक उपकरण।	सीटीएच + वीए 40%
अध्याय 96	विविध निर्मित वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
अध्याय 97	कला के कार्य, संग्राहकों की वस्तुएं और प्राचीन वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%

अनुलग्नक-ग

[नियम 15 का उप-नियम (1) देखें]

(उत्पत्ति (मूल) के प्रमाण पत्र का प्रारूप)

उत्पत्ति (मूल) का प्रमाण-पत्र
उत्पत्ति (मूल) अधिमान्य प्रमाण-पत्र
भारत-ओमान व्यापक आर्थिक सहभागिता करार

प्रमाणपत्र संख्या:

जारी करने की तिथि:

1. निर्यातक (नाम, देश, सीआर/आईईसी संख्या सहित पूरा पता):			2. उत्पादक (देश सहित नाम और पूरा पता):		
3. प्राप्तकर्ता (नाम, पूरा पता, देश):			4. टिप्पणियाँ:	5. संचयन (हां/नहीं)	
6. परिवहन विवरण			7. चालान की संख्या और तिथि:		
8. एचएस कोड (6 अंक)	9. वस्तुओं का विवरण	10. मूल मानदंड (डब्ल्यूओ या पीएसआर)	11. पैकेज के अंक और संख्या	12. सकल वजन या अन्य मात्रा (इकाई के साथ)	

13. जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन दिनांक: मुहर:			14. निर्यातक द्वारा घोषणा दस्तखत: मुहर: दिनांक:	

मूलतः उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र के प्रारूप पर टिप्पणियां

1. मूलतः उत्पादन संबंधी प्रमाण पत्र अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा।
2. सभी बक्से (बॉक्स नंबर 2 और 4 को छोड़कर) अनिवार्य हैं।
3. यदि मूलतः उत्पादन संबंधी का प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जाता है, तो निर्यातक को अनिवार्य रूप से बॉक्स 4 में संबंधित निर्यात दस्तावेज संख्या के साथ "पूर्वव्यापी रूप से जारी" का उल्लेख करना होगा, जिसमें निर्यात घोषणा संख्या या लदान संख्या का बिल शामिल हो सकता है जिसके तहत मूल उत्पादों का निर्यात किया गया था।
4. बॉक्स 8 में अर्थात् 'एचएस कोड', उत्पाद का 6-अंकीय स्तर एचएस कोड निर्यातक द्वारा दिया जाएगा।
5. बॉक्स 10 में अर्थात् 'मूल मानदंड', निर्यातक मूल मानदंड निर्दिष्ट करेगा, जो निम्नानुसार होगा:
 - (i) पूरी तरह से प्राप्त के लिए "डब्ल्यू";
 - (ii) उत्पाद विशिष्ट नियमों के लिए "पीएसआर"।
6. यदि नियम 8 (द्विपक्षीय संचयन) के तहत प्रदान किए गए द्विपक्षीय संचय का उपयोग किया जाता है, तो इसे निर्यातक द्वारा अतिरिक्त रूप से बॉक्स 5 के तहत संचयन के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
7. बॉक्स 12 में सकल वजन या अन्य मात्रा को माप की संबंधित इकाई के साथ अंकों में लिखा जाना चाहिए।
8. नियम 16 (तृतीय-पक्षकार चालान) के संदर्भ में तृतीय-पक्षकार चालान के मामले में, चालान सं. और उसकी तारीख के अलावा जारी करने वाले तीसरे पक्षकार का नाम, पता और देश भी निर्यातक द्वारा बॉक्स 7 में निर्दिष्ट किया जाएगा, इसके अलावा, चालान संख्या प्रदान करने के अलावा। और चालान की तिथि।
9. बॉक्स 13 में आधिकारिक स्टाम्प और क्यूआर कोड लगाकर, जारी करने वाला प्राधिकारी प्रमाणित करता है कि जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा किए गए नियंत्रण के आधार पर, निर्यातक द्वारा उत्पत्ति प्रमाण पत्र में की गई घोषणा सही है।
10. बॉक्स 14 के तहत घोषणा पर हस्ताक्षर करके, निर्यातक उत्पत्ति प्रमाण पत्र की सामग्री की सत्यता और सटीकता को प्रमाणित करता है और घोषित उत्पाद इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)**

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

No. 48/2026 -Customs (N.T.)

G.S.R. 419(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and Oman) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 1st June, 2026.

2. Definitions. - In these rules, unless the context otherwise requires, -

- (a) **“Agreement”** means the Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Sultanate of Oman signed on the 18th December, 2025;
- (b) **“Annexure”** means the annexures appended to these rules;
- (c) **“aquaculture”** including mariculture, means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates, and aquatic plants, from seed stock such as eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production, such as, regular stocking, feeding, protection from predators;
- (d) **“carrier”** means any vehicle for air, sea, or land transport. However, the carriage of product can be made through multimodal transport;
- (e) **“CIF value”** means the price actually paid or payable to the exporter for a product when the product is loaded out of the carrier, at the port of importation, including the cost of the product, insurance, and freight necessary to deliver the product to the named port of destination. The valuation shall be made in accordance with Article VII of the GATT 1994 and the Customs Valuation Agreement;
- (f) **“competent authority”** means:
- (i) for exports from India, the Department of Commerce or any other agency notified from time to time; and for imports into India, the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) or any other agency notified from time to time; and
- (ii) for Oman, Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion and Directorate General of Customs, Royal Oman Police or any other authority notified from time to time;
- (g) **“Customs Administration”** means:
- (i) for India, the CBIC or its successor of such customs administration; and
- (ii) for Oman, the Directorate General of Customs, Royal Oman Police or its successor of such customs administration;
- (h) **“customs value”** means the value of a product as determined in accordance with Article VII of the GATT 1994, including its notes and supplementary provisions thereof, and the Customs Valuation Agreement;
- (i) **“Ex Works price”** means the price paid for the product ex-works to the producer in the Party where the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used;
- (j) **“Free-On-Board (FOB) value”** means the price actually paid or payable to the exporter for a product when loaded onto the carrier at the named port of exportation, including the cost of the product, and all costs necessary to bring the product onto the carrier;
- (k) **“Fungible products or materials”** means products or materials that are interchangeable for commercial purposes and whose properties are essentially identical;
- (l) **“generally accepted accounting principles (GAAP)”** means the recognised consensus of substantial authoritative support in the territory of a Party, with respect to the recording of revenues, expenses, costs, assets, and liabilities, the disclosure of information and the preparation of financial statements. These principles may encompass broad guidelines of general application as well as detailed standards, practices, and procedures;

- (m) **“indirect material”** means a material used in the production, testing, or inspection of a product, or a material used in the maintenance of buildings, or the operation of equipment associated with the production of a product but not physically incorporated into the product, including:
- (i) fuel and energy;
 - (ii) tools, dies and moulds;
 - (iii) spare parts and materials used in maintenance of equipment and buildings;
 - (iv) lubricants, greases, and compounding materials used in production or used to operate equipment and buildings;
 - (v) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies;
 - (vi) equipment, devices, and supplies used for testing or inspecting of products;
 - (vii) catalysts and solvents; and
 - (viii) any other material that is not incorporated into the product but for which the use in the production of the products can be reasonably demonstrated to be a part of that production;
- (n) **“issuing authority”** refers to the government authority(ies) or agency(ies) identified and designated by the competent authority of each Party for issuance of the certificate of origin, notified before the entry into force of the Agreement and as amended from time to time;
- (o) **“juridical person”** means any legal entity duly constituted or otherwise organised under the applicable laws and regulations, whether for profit or otherwise, and whether privately-owned or government-owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture, sole proprietorship, or association;
- (p) **“manufacture”** refers to any kind of working or processing, or specific operations;
- (q) **“material”** means any ingredient, raw input, component or part that is used in the production of a product or physically incorporated into it;
- (r) **“non-originating material”** means any materials whose country of origin is a country other than the Parties (imported non-originating), any materials whose origin cannot be determined (undetermined origin) or a material that does not qualify as originating in accordance with these rules;
- (s) **“originating material”** means materials that qualify as originating in accordance with these rules;
- (t) **“preferential tariff treatment”** means the customs duty rate applicable to an originating product, pursuant to each Party’s Schedule in Annex 2A (Schedule of Specific Tariff Commitments of India) and Annex 2B (Schedule of Specific Tariff Commitments of Oman);
- (u) **“producer”** means a person who engages in the production of a product;
- (v) **“product”** means that which is obtained by growing, raising, mining, harvesting, fishing, aquaculture, trapping, hunting, extracting or manufacturing, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (w) **“production”** refers to growing, cultivating, raising, mining, harvesting, picking, breeding, extracting, gathering, collecting, fishing, farming, aquaculture, trapping, hunting, capturing, manufacturing and processing, assembling a product or any combination thereof;
- (x) **“Party”** means the Government of the Republic of India or the Government of the Sultanate of Oman and collectively as “the Parties”;
- (y) **“tariff classification”** means the classification of a product according to the HS, including its General Interpretative Rules and Explanatory Notes thereof;
- (z) **“territorial sea”** means waters extending up to 12 nautical miles from the baseline as defined by the Parties, in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982; and
- (za) **“value of non-originating materials”** means the customs value at the time of importation of the non-originating materials used, i.e., the CIF value or, if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the territory of a Party.

3. Application and Interpretation.-For the purposes of these rules,--

- (a) the basis for tariff classification is the HS; and
- (b) any cost and value referred to in these rules,

shall be recorded and maintained in accordance with the GAAP applicable in the territory of the Party in which the product is produced.

4. Origin Criteria.- (1) For the purposes of this Agreement, a product shall be deemed as originating in a Party and shall be eligible for preferential treatment provided it:

- (a) is wholly obtained or produced in the territory of the Party as per rule 5; or
- (b) has undergone sufficient working or production as per the Product Specific Rules (PSR) in Annexure-B.

(2) The producer has the option to use either of the following two methods of computing the value addition criteria of a product in the PSR in Annexure-B:

- (a) Build-down Method

$$VA = \frac{(\text{FOB value or Ex Works price}) - (\text{Value of Non Originating Materials})}{\text{FOB value or Ex Works Price}} \times 100$$

- (b) Build-up Method

$$VA = \frac{\text{Value of Originating Material} + \text{direct labour cost} + \text{direct overhead cost}}{\text{FOB value or Ex Works Price}} \times 100$$

“VA” means the value addition in a product, expressed as a percentage.

(3) In case of build-down method, the value of the non-originating materials shall be:

- a) the CIF value at the time of importation of the materials; or
- b) the earliest ascertained price paid for the materials of undetermined origin in the territory of the Party where the working or processing takes place.

(4) In case of build-up method:

- (a) value of originating material shall consist of:
 - (i) cost of materials;
 - (ii) freight and insurance.
- (b) direct labour cost shall include:
 - (i) wages;
 - (ii) remuneration;
 - (iii) other employee benefits associated with the manufacturing process.
- (c) direct overhead cost shall include, but not limited to:
 - (i) real property items associated with the production process (insurance, factory rent and leasing, depreciation on buildings, repair and maintenance, taxes, and interests on mortgage);
 - (ii) leasing of and interest payments for plant and equipment;
 - (iii) factory security;
 - (iv) insurance (plant, equipment and materials used in the manufacture of the products);
 - (v) utilities (energy, electricity, water and other utilities directly attributable to the production of the product);
 - (vi) research, development, design and engineering;
 - (vii) dies, moulds, tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and equipment;

- (viii) royalties or licenses (in connection with patented machines or processes used in the manufacture of the product or the right to manufacture the product);
- (ix) inspection and testing of materials and the products;
- (x) storage and handling in the factory;
- (xi) disposal of recyclable wastes;
- (xii) cost elements in computing the value of raw materials, i.e., port and clearance charges and import duties paid for the dutiable component.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the final manufacture before export must have occurred in the exporting Party.

5. Wholly Obtained or Produced Product.- For the purposes of these rules, the following products shall be considered as being wholly obtained or produced in the territory of a Party;--

- (a) plant and plant products, including fruits, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi, algae and live plants, grown, cultivated, harvested, picked or gathered there;
- (b) live animals born and raised there;
- (c) products obtained from live animals born or raised there;
- (d) mineral products and natural resources extracted or taken from that Party's soil, waters, seabed or subsoil beneath the seabed;
- (e) product obtained from hunting, trapping, fishing or aquaculture, gathering, or capturing conducted there;
- (f) product of sea fishing and other marine products taken from outside its territorial sea by a vessel or produced by a factory ship registered, recorded or licensed with a Party and flying its flag;
- (g) product, other than products of sea fishing and other marine products, taken or extracted from the seabed or the subsoil of the continental shelf or the exclusive economic zone of any of the Parties;
- (h) waste or scrap (excluding precious metals) resulting from consumption or manufacturing operations conducted in the territory of that Party, fit only for disposal or recovery of raw materials; and
- (i) product produced in the territory of that Party exclusively from product referred to in subparagraphs (a) through (h).

6. De Minimis.- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 4, non-originating materials that do not meet the required change in tariff classification (CTC), if applicable, in the product specific rule, shall be deemed originating if:

- (a) their total value does not exceed 10% of the FOB value or Ex Works price of the exported product; or
- (b) in the case of textiles and clothing under chapters 50-63 of the HS, the weight of the non-originating material is less than 10% of the total weight of the materials used in the production of the exported product or 10% of the FOB value or Ex Works price.

(2) In the case of a wholly obtained product, a *de minimis* value not exceeding 10% of the FOB value or Ex Works price of the exported product is allowed.

(3) For the purpose of sub-rule (1), the *de minimis* availed under this rule shall be included in the determination of the value of non-originating materials for arriving at the applicable VA as specified in Annexure-B.

7. Minimal or Insufficient Operations and Processes.- (1) Notwithstanding anything contained in these rules, a product shall not be considered originating in a Party merely by undergoing any one or more of the following operations on non-originating materials in the territory of that Party;--

- (a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport, and storage (such as drying, freezing or thawing, keeping in brine, removal of damaged parts) and other similar operations;
- (b) changes of packaging and breaking up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning, and removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) simple combining operations, labelling, pressing, cleaning or dry cleaning, packaging operations, or any combination thereof;

Explanation: For the purposes of this rule, “simple” describes an activity which needs neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed to carry out the activity;

- (e) cutting to length or width and hemming, or stitching or over locking of fabrics which are readily identifiable as being intended for a particular commercial use;
- (f) for textiles: trimming or joining together by sewing looping, linking or attaching accessory articles such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets; ironing or pressing;
- (g) simple painting and polishing;
- (h) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (i) operations to colour sugar or form sugar lumps;
- (j) peeling and removal of stones and shells from fruits, nuts and vegetables;
- (k) unflaking, crushing, squeezing, slicing, macerating and removal of bones;
- (l) sharpening, simple grinding or simple cutting and repackaging;
- (m) simple operations such as removal of dust, sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching, slitting, bending, coiling or uncoiling;
- (n) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (o) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (p) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
- (q) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the product;
- (r) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (s) slaughter of animals; or
- (t) simple testing, calibration, inspection or certification.

(2) The operations or processes as specified in sub-rule (1) of rule 4 may be considered while determining eligibility of a product for preferential treatment to the extent sufficient working or production on a product includes operations or processes other than those specified in sub-rule (1) or is in combination with operations or processes specified in sub-rule (1).

(3) Each Party shall provide that a product shall not be considered to be an originating product merely by reason of a production or pricing practice in respect of which it may be demonstrated, on the basis of a preponderance of evidence, that the object was to circumvent the provisions of these rules.

8. Bilateral Cumulation.- (1) The originating products from the territory of a Party that are used in the production of a product in the territory of the other Party as materials for finished products shall be considered as materials originating in the territory of the other Party where the manufacture of the finished product has taken place.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the last production process should be beyond the minimal or insufficient operations as described in rule 7.

9. Packages, Packing Materials and Containers.- (1) The packages, packing materials and containers for retail sale in which a product is packed for retail sale, when classified together with the product according to Rule 5(b) of the General Rule for the Interpretation of the Harmonised System, shall be disregarded in determining whether all non-originating materials used in the manufacture of a product undergo a CTC applicable to the said product.

(2) Wherever such a product is subject to value addition, the value of the packages, packing materials and containers for retail sale in which a product is packed for retail sale shall be taken into account as originating or non-originating, as the case may be, in calculating the value addition for the product.

(3) The containers and packing materials exclusively used for the transport or shipment of a product shall not be taken into account in determining the origin of the product.

10. Accessories, Spare Parts or Tools.- (1) Each Party shall provide that accessories, spare parts, or tools classified and delivered with a product that forms a part of the product's standard accessories, spare parts, or tools as per standard trade practice, shall be considered as originating and part of the product in question. However, this is contingent on the following;--

- (a) the accessories, spare parts, or tools are not invoiced separately from the product;
- (b) the quantities and value of the accessories, spare parts, or tools are customary for the product; and
- (c) the value of the accessories, spare parts, or tools shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the value addition of the product in accordance with rule 4.

11. Indirect Materials.- An indirect material shall be considered to be originating without regard to where it is produced.

12. Accounting Segregation.- (1) Each Party shall provide that the determination of whether fungible products or materials are originating products shall be made ordinarily by physical segregation of each product or material; or, in case of any difficulty, an inventory management method, such as averaging, last-in, first-out, or first-in, first out, recognised in the GAAP of the Party in which the production is performed, or otherwise accepted by the Party in which the production is performed.

(2) The inventory management method shall continue to be used for those fungible products or materials throughout the fiscal year of the Party and shall be recorded, applied and maintained in accordance with the GAAP applicable in the Party in which the product is manufactured. The inventory management method chosen must:--

- (a) permit a clear distinction to be made between originating and non-originating materials including materials of undetermined origin acquired or kept in stock; and
- (b) guarantee over the relevant accounting period of twelve months that no more products receive originating status than would be the case if the materials had been physically segregated.

(3) A producer using an inventory management system shall keep records of the operation of the system that are necessary for the competent authority of the Party concerned to verify compliance with the provisions of these rules.

(4) The competent authority may require from its exporters that the application of the method for managing stocks as provided for in this rule will be subject to prior authorisation.

13. Direct Consignment.- (1) The originating product of a Party shall be deemed to meet the direct consignment criteria under these rules when they are;--

- (a) transported directly from the territory of that Party to the territory of the other Party; or
- (b) transported through the territory or territories of one or more non-Parties for the purpose of transit in such territory or territories, provided that:
 - (i) the products remain under customs control in the territory of a non-Party and have not entered the trade or consumption in the non-Party;
 - (ii) the products do not undergo operations other than unloading, reloading or operations necessary to preserve them in good condition; and
 - (iii) the transit entry is justified for geographical reason and by considerations related exclusively to transport requirements.

(2) Evidence that the conditions specified in sub-rule (1) have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the importing Party, on request, by the production of bill of lading/airway bill and any other relevant transport document covering the passage from the exporting Party to the importing Party, including through the country of transit where applicable.

(3) An importer shall, upon request, provide a certificate issued by the customs authorities of the country of transit mentioning the following information:

- (a) giving an exact description of the products;
- (b) stating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used; and
- (c) certifying that the products remained under customs control in the territory of the non-Party, and did not enter into trade or commerce in the non-Party.

14. Proof of Origin.- (1) For products originating in a Party and otherwise fulfilling the requirements of these rules, the proof of origin of an exported product shall be provided through any of the following means:--

- (a) a Certificate of Origin in electronic or hard copy format issued by issuing authority referred to in rule 15, signed and stamped by the exporter, electronically or otherwise:--
 - (i) till the system of electronic signing and stamping is instituted for the exporter by either party, the exporter should manually append the signature and stamp on the printed Certificate of Origin issued by the issuing authority; and
 - (ii) in case the electronic Certificate of Origin cannot be issued by the issuing authority due to technical difficulties, a printed Certificate of Origin, issued with the official stamp of the issuing authority;
- (b) a fully digitised Certificate of Origin (e-certificate) issued by issuing authority and exchanged by a mutually developed electronic system in accordance with rule 34; or
- (c) an origin declaration, when agreed by the Parties, in accordance with rule 35.

(2) The Certificate of Origin shall be valid for twelve months from the date of issue in the exporting Party.

(3) The Certificate of Origin shall be submitted to the Customs Administration of the importing Party in accordance with the procedures applicable in that Party.

15. Certificate of Origin and Certification Procedures.- (1) The Certificate of Origin shall be as per the format in Annexure-C.

(2) The Certificate of Origin shall be in the English language.

(3) The Certificate of Origin shall bear a unique, sequential serial number separate for each office of issuance and affixed by the issuing authority in the exporting Party. In case of issuance of electronic Certificate of Origin, it shall bear a QR code as well.

(4) The Certificate of Origin will be issued by the issuing authority of each Party. It shall bear the official stamp of the issuing authority.

(5) The Certificate of Origin shall be valid for only one import declaration and may include one or more products.

(6) The number and date of the commercial invoice or any other relevant documents shall be indicated in the box reserved for this purpose in the Certificate of Origin.

(7) The Certificate of Origin shall be submitted within its validity period.

(8) In exceptional circumstances, the Certificate of Origin may be accepted by the Customs Administration of the importing Party for the purpose of granting preferential tariff treatment even after the expiry of its validity, provided that the failure to observe the time limit results from *force majeure* or other valid reasons beyond the control of the exporter and the products have been imported before the expiry of the validity period of the said Certificate of Origin.

(9) The Certificate of Origin shall be forwarded by the exporter to the importer. The customs authorities may require the original copy in case of manual issuance of the said Certificate.

(10) Neither erasures nor superimposition shall be allowed on the Certificate of Origin. A new certificate of origin may be issued to replace the erroneous one.

(11) The Certificate of Origin shall be issued either prior to, or within five working days from the date of exportation. However, under exceptional cases, where a Certificate of Origin has not been issued prior to, or within five working days from the date of exportation due to involuntary errors or omissions, or any other valid reasons, the Certificate of Origin may be issued retrospectively, bearing the words "ISSUED RETROSPECTIVELY" in box 4 of the Certificate of Origin, with the issuing authority also recording the reasons in writing on the exceptional circumstances due to which the certificate was issued retrospectively. The Certificate of Origin can be issued retrospectively within twelve months from the date of shipment.

(12) In the event of theft, loss or destruction of a physical copy of the Certificate of Origin, the producer, exporter or their authorised representative may apply in writing to the issuing authority for a certified true copy of the original Certificate of Origin made on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the words "CERTIFIED TRUE COPY" (in lieu of the original certificate) and the date of issuance of the original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued within the validity period of the original Certificate of Origin. The exporter shall immediately notify the theft, loss or destruction and undertake not to use the original Certificate of Origin for exports under this Agreement to the competent authority.

(13) Minor discrepancies between the Certificate of Origin and the documents submitted to the Customs Administration at the port of importation for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not *ipso facto* invalidate the Certificate of Origin, if such Certificate of Origin corresponds to the products under importation. Minor discrepancies include typing errors or formatting errors, subject to the condition that these minor errors do not affect the authenticity of the Certificate of Origin or the accuracy of the information included in the Certificate of Origin. For greater clarity, discrepancies in the specimen stamps of the issuing authority shall not be regarded as minor discrepancies.

16. Third-party Invoicing.- (1) An importing Party shall not deny a claim for preferential tariff treatment for the sole reason that an invoice was not issued by the exporter or producer of a product, provided that it meets the requirements in these rules.

(2) The exporter of the products shall indicate “third-party invoicing” and such information as name, address, invoice date and number and the country of the company issuing the invoice shall appear in box 7 of the Certificate of Origin as per the format in Annexure-C.

17. Authorities.- (1) The Certificate of Origin shall be issued by an issuing authority of a Party.

(2) Each Party shall inform the competent authorities and the Customs Administration of the other Party of the names and addresses of the officials of the issuing authority designated to issue Certificates of Origin under these rules.

(3) The Parties shall exchange specimen stamps of the authorities issuing the Certificate of Origin.

(4) Each Party shall intimate the name, designation and contact details (address, phone number and e-mail) of its authorities;--

(a) to whom the specimen stamps of the issuing authorities of the other Party should be communicated:-

(i) India: CBIC, Department of Revenue, Government of India.

(ii) Oman: Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion or any other relevant authority as notified by Oman.

(b) to whom the references of verification of the Certificate of Origin issued by the Party, should be addressed:--

(i) India: Department of Commerce, Government of India.

(ii) Oman: Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion.

(c) from whom the specimen stamps of the issuing authority of the other Party would be received:--

(i) India: Department of Commerce, Government of India.

(ii) Oman: Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion.

(d) from whom references would emanate for verification of the Certificate of Origin issued by the other Party:--

(i) India: CBIC, Department of Revenue, Government of India.

(ii) Oman: Ministry of Commerce, Industry and Investment Promotion.

(5) Any change in the officials' stamps shall be promptly informed to the other Party.

(6) Each Party shall, within thirty days of the date of entry into force of this Agreement for that Party, designate one or more contact points within its competent authority for the implementation of these rules and shall notify the other Party of the contact details of that contact point or those contact points. Each Party shall promptly notify the other Party of any change to those contact details.

(7) Any changes in authorities or agencies shall be promptly notified to the other Party. Such changes shall come into effect after thirty days from the date of receipt of the notice by the other Party (the receiving Party). The receiving Party shall acknowledge the receipt of such notice within seven days of the receipt of the notice.

18. Application for Certificate of Origin.- (1) For the issuance of a Certificate of Origin, the final producer or exporter of the product shall present, or submit electronically to the issuing authority of the exporting Party, in accordance with the procedure laid down by each Party's laws and regulations, the following;--

(a) an application to the issuing authority together with the appropriate supporting documents for proving origin;

(b) set of minimum information requirements referred to in Annexure-A in whichever form or format as may be required by the issuing authority and in consonance with the description in the invoice;

- (c) the corresponding commercial invoice or other documents necessary to establish the origin of the product; and
- (d) the HS code, description, quantity and value of exported product if the same has already not been provided for.

(2) Multiple items declared on the same Certificate of Origin, shall be allowed, provided that each item qualifies separately in its own right.

(3) The issuing authority may apply a risk management system in order to selectively conduct pre-export verification of the minimum required information filed by an exporter or producer. The verification may, at the discretion of the issuing authority, include methods such as obtaining detailed cost sheets, and conducting a factory visit.

19. Record Keeping.- (1) The issuing authorities shall keep the minimum required information and supporting documents for a period not less than five years from the date of issuance of the Certificate of Origin.

(2) The importer shall keep records relevant to the importation in accordance with the laws and regulations of the importing Party. The application for Certificates of Origin and all documents related to such application shall be retained by the issuing authority for not less than five years from the date of issue.

(3) The records in sub-rules (1) and (2) may include electronic records and shall be maintained in accordance with the laws and regulations of each Party.

20. Obligations of the Exporter or Producer.- (1) The exporter or producer shall submit the minimum required information, as specified in clause (b) of sub-rule (1) of rule 18, and supporting documents for the issue of the Certificate of Origin as per the procedures followed by the issuing authority in the exporting Party only in cases where a product conforms to the provisions under these rules.

(2) Any exporter or producer who falsely represents any material information relevant to the determination of origin of a product shall be liable to be penalised under the laws and regulations of the exporting Party.

(3) The exporter or producer shall keep the minimum required information, as specified in clause (b) of sub-rule (1) of rule 18, and supporting documents for a period not less than five years from the date of issuance of the Certificate of Origin or the date of export, whichever is earlier.

(4) For the purpose of the determination of origin, the exporter or producer applying for a Certificate of Origin or Origin Declaration under these rules shall maintain appropriate commercial accounting records for the production and supply of products (as well as relevant records and documents from the suppliers) qualifying for preferential treatment and keep all commercial and customs documentation relating to the material used in the production of the product, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads, and any other relevant elements such as profits and related components for at least five years from the date of issuance of the Certificate of Origin or the date of export, whichever is earlier. The exporter or producer shall promptly, upon request of the competent authority of the exporting Party, where the Certificate of Origin has been issued, make available records for inspection to enable verification of the origin of the product.

(5) The exporter or producer shall not deny any request for a verification visit, agreed between the competent authority of the exporting Party and the competent authority of the importing Party, under the terms of rule 22. Any failure to consent to a verification visit shall be grounds for a denial of preferential tariff treatment claimed under this Agreement.

(6) If the exporter or producer has reason to believe that the Certificate of Origin is based on incorrect information that could affect the accuracy or validity of the Certificate of Origin, they shall be obliged to immediately notify the issuing authority or competent authority in writing of any change affecting the originating status of each product to which the Certificate of Origin applies.

21. Presentations of the Certificate of Origin.- (1) For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer or its authorised representative shall submit to the Customs Administration of the importing Party, at the time of filing import declaration, the Certificate of Origin including supporting documentation and other documents as required, in accordance with the laws and regulations of the importing Party.

(2) If a claim for preferential treatment is made without producing the original copy of the Proof of Origin as referred in rule 15, the Customs Administration of the importing Party may deny preferential tariff treatment and request a guarantee in any of its modalities or may take any action necessary in order to preserve fiscal interests, as a pre-condition for the completion of the importation operations subject to and in accordance with the laws, regulations and procedures of the importing Party.

(3) Each Party shall, in accordance with its laws and regulations, provide for a refund of any excess duties paid as

a result of the product not having been accorded preferential treatment if a product would have qualified as an originating product when it was imported into the territory of that Party. The importer of the product may, within a period of one year from the date of importation or the period as specified by the laws of the importing Party, apply for a refund of any excess duties paid as a result of the product not having been accorded preferential treatment at the time of importation, provided that the importer formally declares to the Customs Administration of the importing Party that the product in question qualified as an originating product in accordance with the importing Party's laws and regulations.

(4) Each Party shall provide that, if the importer has reason to believe that the claim for preferential tariff treatment is based on incorrect information that could affect the accuracy or validity of the Certificate of Origin, the importer shall correct the importation document, and pay any customs duty and, if applicable, penalties owed.

22. Verification of Certificates of Origin.- (1) For the purpose of determining the authenticity and the correctness of the information given in the Certificate of Origin, the importing Party may conduct verification by means of;

- (a) requests for information from the importer;
- (b) requests for assistance from the competent authority of the exporting Party as provided for in sub-rule (2);
- (c) written questionnaires to an exporter or a producer in the territory of the other Party through the competent authority of the exporting Party;
- (d) in exceptional circumstances, visits to the premises of an exporter or a producer in the territory of the other Party; or
- (e) such other procedures as the Parties may agree.

(2) For the purposes of clause (b) of sub-rule (1), the competent authority of the importing Party, in accordance with its laws and regulations;--

- (a) may request, in writing, from the competent authority of the exporting Party to assist it in verifying:--
 - (i) the authenticity of a Certificate of Origin;
 - (ii) the accuracy of any information contained in the Certificate of Origin; or
 - (iii) the authenticity and accuracy of the information and documents, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads and any other relevant elements such as profits and related components which are relevant to the origin determination of the product under rule 4;
- (b) shall provide the competent authority of the exporting Party with:--
 - (i) the reasons why such assistance is sought;
 - (ii) the Certificate of Origin, or a copy thereof; and
 - (iii) any information and documents as may be necessary for the purpose of providing such assistance.

(3) In so far as possible, the competent authority of the importing Party conducting a verification shall seek necessary information or documents relating to the origin of imported product from the importer, in accordance with its laws and regulations, before making any request to the competent authority of the exporting Party for verification.

(4) In cases where the competent authority of the importing Party deems it necessary to seek verification from the competent authority of the exporting Party, it shall specify in its written request whether the verification is on a random basis, or the veracity of the information is in doubt. In case the determination of origin is in doubt, the competent authority of the importing Party shall provide detailed grounds for the doubt concerning the veracity of the Certificate of Origin.

(5) The proceedings of verification of origin as provided in these rules shall also apply to the products already cleared for home consumption under preferential tariffs in accordance with this Agreement.

23. Procedure for Verification.- (1) Any request made pursuant to rule 22 shall be in accordance with the procedures set forth in this rule and shall be conducted in a transparent, objective and non-discriminatory manner.

(2) In case where the competent authority of the importing Party seeks to verify the veracity of the claim for preferential tariff treatment, including the basis of such claim, it shall make a written request or send a questionnaire seeking information from the importer of the product.

(3) The importer shall respond to the verification request or questionnaire within ten working days from the date

of receipt of such request, if the request is on the ground of suspicion in respect of the claim for preferential tariff treatment in respect of the product and the information and documents which form the basis of such claim.

(4) Where the importer fails to provide requisite information and documents by the prescribed due date in sub-rule (3) or where the information and documents received from the importer are found to be insufficient to conclude that the origin criteria prescribed in the respective rules of origin have been met, the competent authority of the importing Party shall request the competent authority of the exporting Party:--

- (a) by providing a copy of the Certificate of Origin and any supporting document such as an invoice, packing list, bill of lading or airway bill, etc.
- (b) by specifying whether it requires a verification of the genuineness of the Certificate of Origin to rule out any forgery, seeks the minimum required information with the supporting documents or seeks to verify the determination of origin.

(5) In cases where the competent authority of the importing Party seeks to verify the authenticity of the Certificate of Origin, accuracy of the information contained in the certificate or a copy of the minimum required information specified in Annexure-A, along with supporting documents based on which origin was claimed, the competent authority of the importing Party shall send a written request for the same to the competent authority of the exporting Party.

(6) In cases where the Customs Administration of the importing Party seeks to verify the determination of origin, the competent authority of the importing Party shall send a questionnaire to the competent authorities of the exporting Party, which shall be passed on to the exporter or producer, for such inquiry or documents, as necessary.

(7) The competent authority of the exporting Party shall provide the information and documentation requested by the Customs Administration of the importing Party, within the following time periods from the date of receipt of the request:--

- (a) fifteen days, where the request pertains to the authenticity of the Certificate of Origin, including the stamp of the issuing authority;
- (b) thirty days, where the request seeks a copy of the relevant document with the minimum required information; or
- (c) ninety days, where the request is on the grounds of suspicion of the accuracy of the determination of origin of the product. This period may be extended by mutual consultation between the Customs Administration of the importing Party and the issuing authority of the exporting Party for a period not more than sixty days.

(8) If, upon receiving the results of the verification questionnaire pursuant to sub-rules (5) and (6), the competent authority of the importing Party has reasons to believe and therefore deems it necessary to request further investigative actions or information, the competent authority of the importing Party shall communicate the fact to the competent authority of the exporting Party in writing. The term for the execution of such new actions, or for the presentation of additional information, shall not be more than ninety days from the date of the receipt of the request for the additional information.

(9) If, upon receiving the results of the verification pursuant to sub-rules (5) and (6), the competent authority of the importing Party deems it necessary to conduct a verification visit, it may deliver a written request to the competent authority of the exporting Party to facilitate a visit to the premises of the exporter or producer with a view to examining the records, production processes, as well as the equipment and tools utilised in the manufacture of the product under verification.

(10) The request for a verification visit shall be made not later than thirty days of the receipt of the verification report referred to in sub-rules (5) and (6). The requested Party shall promptly inform the dates of the visit, but no later than forty five days of the receipt of request and give a notice of at least twenty one days to the requesting Party and exporter or producer so as to enable arrangements for the visit.

(11) The competent authorities of the exporting Party shall accompany the authorities of the importing Party during the verification visit. Such visits may include the participation of specialists acting as observers. Each Party can designate specialists, who shall be neutral and have no interest whatsoever in the verification. Each Party may deny the participation of such specialists whenever the latter represent the interests of the companies involved in the verification.

(12) The participants in the visit shall subscribe to a "Record of Visit" within sixty days of the conclusion of the visit which shall contain the following information:

- (a) the date and place of the visit;
- (b) the identification of the Certificate of Origin which led to the verification;

- (c) the identification of the products under verification;
- (d) the identification of the participants, including the institutions they represent; and
- (e) the record of the proceedings.

24. Release of Products.- Upon reasonable suspicion regarding the origin of the products, the importing Party, subject to and in accordance with its laws and regulations, may as a condition for the release of the products;--

- (a) request the importer to provide a guarantee in any of its modalities; or
- (b) take any action necessary in order to preserve fiscal interests as a pre-condition for the completion of the importation operations.

25. Confidentiality.- (1) The information obtained by the competent authority of the importing Party may be used for the purpose of a decision regarding the determination of origin in respect of the product under verification or during legal proceedings concerning issues under these rules and in accordance with each Party's respective laws and regulations.

(2) Each Party shall protect such information from any unauthorised disclosure, in accordance with its respective laws and regulations.

26. Denial of Preferential Treatment.- (1) Except as otherwise provided in these rules, the importing Party may deny a claim for preferential tariff treatment, if;--

- (a) the importing party determines that the products do not meet the requirements of these rules;
- (b) the importer, exporter or producer fails to comply with the relevant requirements of these rules including those in rule 19, rule 20 or rule 23;
- (c) the Certificate of Origin does not meet the requirements of these rules; or
- (d) the exporting Party refuses or fails to respond to the competent authority of the importing Party in accordance with rule 23.

(2) In cases where the Certificate of Origin is rejected by the Customs Administration of the importing Party, after following the due process provided under its laws, a copy of the decision, containing the grounds of rejection, shall be notified to the importer.

27. Products Complying with Rules of Origin.- If a verification conducted under rule 22, determines that the products comply with the rules of origin under these rules, the importer shall be promptly refunded the duties paid in excess of the preferential duty or release guarantees obtained in accordance with importing Party's laws and regulations.

28. Prospective Restoration of Preferential Benefits.- (1) Where preferential treatment for a product has been denied by the Customs Administration of the importing Party prospectively or retrospectively, the exporter or producer may take recourse to the procedure specified in sub-rule (2) in respect of future exports to the importing Party.

(2) Such exporter or producer shall clearly demonstrate to the satisfaction of the competent authority of the exporting Party that the manufacturing conditions were modified so as to fulfil the origin requirements of the rules of origin under these rules.

(3) The competent authority of the exporting Party shall send the information to the competent authority of the importing Party explaining the changes carried out by the exporter or producer in the manufacturing conditions as a consequence of which the products fulfil the origin criterion.

(4) If deemed necessary, the competent authority of the importing Party, shall within 45 days from the date of the receipt of the information, request for a verification visit to the producer's premises, for satisfying itself of the veracity of the claims of the exporter or producer referred in sub-rule (2).

(5) The prospective restoration of preferential benefits would be granted by the competent authority of the importing Party, if the veracity of the claims of the exporter or producer are established.

(6) If the competent authorities of the Parties fail to agree on the fulfilment of the rules of origin under these rules subsequent to the modification of the manufacturing conditions, they may refer the matter to the Subcommittee established under rule 32 for a decision.

29. Temporary Suspension of Preferential Treatment.- (1) The importing Party may suspend the preferential tariff treatment in respect of a product originating in the exporting Party when the suspension is justified due to persistent failure to comply with the provisions of these rules by an exporter or producer in the exporting Party or a persistent failure on the part of the competent authority of the exporting Party to respond to a request for verification.

(2) The importing Party shall, within ninety days from the date of suspension of the preferential tariff treatment for a

product, notify the exporting Party in writing of the reasons for such suspension.

(3) Upon receipt of the notification of the suspension, the competent authority of the exporting Party may request consultations.

(4) The consultations may be conducted by electronic means, including video conference or by in-person meetings, as mutually agreed and may also involve joint verification.

(5) Pursuant to the consultations between the Parties, and such measures as they may mutually agree, the Parties shall resolve to:--

- (a) restore preferential tariff treatment to the product with retrospective effect;
- (b) restore preferential tariff treatment to the product with prospective effect, subject to implementation of any mutually agreed measures by one or both Parties; or
- (c) continue with the suspension of preferential tariff treatment to the product, subject to remedies available under rule 28.

30. Non-Compliance of Products with Rules of Origin and Penalties.- (1) If the verification under rule 22 establishes the non-compliance of products with the rules of origin, duties shall be levied in accordance with the laws and regulations of the importing Party.

(2) Each Party shall also adopt or maintain measures that provide for the imposition of sanctions for violations of its customs laws and regulations, including those governing rules of origin and the entitlement to preferential tariff treatment under this Agreement.

31. Relevant Dates.- The time periods specified in these rules shall be calculated on a consecutive day basis from the day following the fact or event to which they refer.

32. Cooperation.- (1) The Parties hereby establish a Subcommittee on Rules of Origin to oversee the implementation of these rules, under the Committee on Trade in Goods.

(2) The Subcommittee on Rules of Origin shall comprise of officials of the competent authorities, the Customs Administration and the issuing authorities of the Parties.

(3) The Subcommittee on Rules of Origin shall meet at least once annually for the furtherance of the objectives of these rules, including to enhance mutual capacity building to facilitate the smooth implementation of the procedures under these rules and to explore ways and means for utilising information technology-enabled services for the issuance and verification of the Certificate of Origin.

(4) The Subcommittee on Rules of Origin will also evaluate and decide on whether to continue with the issuance of the Certificate of Origin by the issuing authority of each Party, or to switch to self-certification procedures. If either Party is not ready to switch to self-certification during the first regular review session, the issue shall be deferred to subsequent reviews until such time where both Parties can agree to adopt the self-certification procedures.

(5) The Subcommittee on Rules of Origin may refer any matter to the Joint Committee.

33. Consultation and Modifications.- The Parties shall consult and cooperate through the Subcommittee on Rules of Origin as appropriate to:--

- (a) ensure that these rules are applied in an effective and uniform manner; and
- (b) discuss necessary amendments to these rules, taking into account developments in technology, production processes, and other related matters.

34. Exchange of Electronic Data on Origin.- The Parties shall endeavour to develop an electronic system for information exchange on origin to ensure the effective and efficient implementation of these rules particularly on transmission of electronic Certificate of Origin.

35. Origin Declaration.- For the purposes of clause (c) of sub-rule (1) of rule 14, the Parties shall endeavour to negotiate, agree on, and implement provisions allowing each competent authority to recognise an origin declaration made by an approved exporter.

[F. No. CBIC-15021/175/2023-ICD (CBEC)]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Annexure-A

[See clause (b) of sub-rule (1) of rule 18]

(Minimum Required Information)

1. Name and Address of the producer/exporter/manufacturer:

2. Registration Number:

3. Country of Origin:

All cost and price figures are to be shown in U.S. dollars (\$) or the national currency of the exporting Party

4. Export Product-wise general information:

S. No.	Description of the product to be exported	Model/Brand	HS code	FOB/Ex Works value (please specify)

5. Product-wise cost breakup information (to be furnished for each product listed in paragraph

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sl. no. and description of the exported product	Component/Input/materials/parts/product-wise break-up							Total value of non-originating Material	Labour cost	Other overhead costs	Profit
	Description of component, materials, inputs, parts or produce	Quantity and Unit	Unit CIF Value	Total CIF Value = (Quantity x Unit value)	HS Code (at least at six-digit level)	Supplier's name and address	Country of Origin of the component, materials, inputs, parts or produce				

In column H, the entry shall be made to indicate the Country of Origin in terms of the rules of origin as one of the following:

- (i) India;
- (ii) Oman; or
- (iii) non-originating materials.

6. Calculation (*Complete one*)

- (i) Value of non-originating materials used in production as a percentage of FOB value or Ex Works price; or
- (ii) Value of originating materials as a percentage of FOB value or Ex Works price.

7. Description of the manufacturing process:

DECLARATION

I declare that the information provided by me as above is true and correct.

I will permit, as and when required, inspection of our factory/product and undertake to maintain up-to-date costing records.

Signature:

Name:

Title/Designation:

FOR OFFICIAL USE

The particulars given above have been checked, verified by the records maintained by the applicant and found to be correct. On the strength of this evidence, the applicant is eligible to claim that the products have originated from _____ as shown in serial number 3 above in terms of the provisions of these rules.

Place and Date:

Signature and Name of the Competent Authority with Official Stamp (*can be applied electronically*)

Annexure-B

[See clause (b) of sub-rule (1) of rule 4]

(Product Specific Rules)**1. Definitions.-**

For the purposes of this Annexure:

- a) **“WO”** means wholly obtained;
- b) **“CC”** means that all non-originating materials used in the production of the product have undergone a change in tariff classification at the two-digit level;
- c) **“CTH”** means that all non-originating materials used in the production of the product have undergone a change in tariff classification at the four-digit level;
- d) **“CTSH”** means that all non-originating materials used in the production of the product have undergone a change in tariff classification at the six-digit level;
- e) **“Melt and pour”** means that the product must have been melted and poured in one or both of the Parties wherein the raw material is first produced in an iron or steel-making furnace in a liquid state, and then poured into its first solid shape;
- f) **“VA(X)”** means that the product must have achieved value addition as calculated under rule 4 (Origin Criteria) of not less than (X) per cent whether using the build-up method or the build-down method. However, in case the build-up method is used, the VA shall be five percentage points lower. For example, if the VA requirement under this Annexure is 40% then it can be either 40% using build-down method or 35% using build-up method.

Notwithstanding anything contained in clauses (a) to (f), in the case of products under HS 71, the value addition must be on the basis of FOB value;

- g) **“Chapter”** means a chapter of the Harmonised System;
- h) **“Heading”** means the first four digits in the tariff classification number under the HS; and
- i) **“Sub heading”** means the first six digits in the tariff classification number under the HS.

2. Review.-

Both Parties agree to review the PSRs within two years of entry into force of this Agreement.

TABLE 1: PRODUCT-SPECIFIC RULES

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
Chapter 1	Live animals.	WO
Chapter 2	Meat and edible meat offal.	WO
ex Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.	WO
0306-0308	Crustaceans, molluscs, and other aquatic invertebrates (excluding live, fresh, or chilled items).	VA 35%
Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO
Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage.	WO
Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers.	WO
ex Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons.	WO
80132	Shelled (Cashew kernel).	CTSH
Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices.	CTSH + VA 40%
Chapter 10	Cereals.	WO
Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; insulin; wheat gluten.	CTH + VA 40%
Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder.	WO
ex Chapter 13	Lac; gums, resins, resins and other vegetable saps and extracts.	WO
1302	Vegetable saps and extracts.	CTH + VA 40%
Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included.	WO
Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes.	CTSH + VA 40%
Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, or of insects.	CTH + VA 40%
ex Chapter 17	Sugars and sugar confectionery.	WO
1701	Cane or beet sugar.	CTSH + VA 40%
1702	Other sugars.	CTSH + VA 40%
1704	Sugar confectionery.	CTH + VA 40%
ex Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations.	WO
1803	Cocoa paste, whether or not defatted.	CTH + VA 40%
1804	Cocoa butter, fat and oil.	CTH + VA 40%
1805	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.	CTH + VA 40%
1806	Chocolate and other food preparations containing cocoa.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 19	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products.	CTH + VA 40 %
190110	Malt extract(Preparations suitable for infants or young children, put up for retail sale).	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190120	Mixes and doughs for the preparation of bakers' wares of heading 19.05.	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190190	Other (Malt extract; food preparations of flour, groats, meal, starch or malt extract, not containing cocoa or containing less than 40 % by weight).	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190211	Uncooked pasta (containing eggs).	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190219	other (uncooked pasta, not stuffed with meat or other).	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190410	Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or cereal products.	(CC except chapter 10 &11) or (CTH + VA 40%)
190531	Sweet biscuits.	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190540	Rusks, toasted bread and similar toasted products.	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
190590	Other (bread, pastry, cakes, biscuits and other baker's wares, whether or not containing cocoa).	(CC except chapter 11) or (CTH + VA 40%)
ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants.	CC + VA 40 %
2007-2009	Jams, Fruit Jellies, Marmalades, fruit or nut purees/pastes, prepared/ preserved fruit or nuts, juices etc.	CTH +VA 40%
Chapter 21	Miscellaneous edible preparations.	CTH+ VA 40%

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar.	WO
2201, 2202, ex 2206, 2209	Non-alcoholic beverages and vinegar.	CTH + VA 40%
ex 2207, ex 2208	Undenatured ethyl alcohol for medical use.	CTH + VA 40%
Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder.	CC + VA 40%
2308, 2309	Vegetable materials/ waste used as animal feed, preparations of a kind used in animal feeding.	CTH +VA 40%
Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes.	WO
Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement.	CTSH + VA 40%
Chapter 26	Ores, slag and ash.	CTSH + VA 40%
Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes.	CTSH + VA 40%
Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes.	CTSH + VA 40%
Chapter 29	Organic chemicals.	CTSH + VA 40%
Chapter 30	Pharmaceutical products.	CTSH + VA 40%
Chapter 31	Fertilisers.	CTSH + VA 40%
Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks.	CTSH + VA 40%
Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations.	CTSH + VA 40%
Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster.	CTSH + VA 40%
Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes.	CTSH + VA 40%
Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations.	CTSH + VA 40%
Chapter 37	Photographic or cinematographic goods.	CTSH + VA 40%
Chapter 38	Miscellaneous chemical products.	CTSH + VA 40%
Chapter 39	Plastics and articles thereof.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 40	Rubber and articles thereof.	CTSH + VA 40%
400110	- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised.	WO
400121	-- Smoked sheets.	WO
400122	-- Technically specified natural rubber (TSNR).	WO
400129	Other (Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip, other than smoked sheets and TSNR).	WO
Chapter 41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather.	CTSH + VA 40%
Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut).	CTH + VA 40%
Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal.	CTSH + VA 40%
Chapter 45	Cork and articles of cork.	CTH + VA 40%
Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware and wickerwork.	CTSH + VA 40%
Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard.	CTSH + VA 40%
Chapter 48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard.	CTSH + VA 40%

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans.	CTSH + VA 40%
Chapter 50	Silk.	CTSH + VA 40%
Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 52	Cotton.	CTSH + VA 40%
5201	Cotton, not carded or combed.	WO
5202	Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).	WO
5203	Cotton, carded or combed.	WO
5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.	WO
Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 54	Man-made filaments; strip and the like of man-made textile materials.	CTSH + VA 40%
540110	Sewing thread of man-made filaments (of synthetic filament).	CTSH + VA 35%
540120	Sewing thread of man-made filaments (of artificial filament).	CTSH + VA 35%
540253	Other yarn single, with a twist exceeding 50 turns per metre (of polypropylene).	CTSH + VA 35%
540259	Other (single, with a twist exceeding 50 turns per metre).	CTSH + VA 35%
540261	Other yarn, multiple (folded) (of nylon or other polyamides).	CTSH + VA 35%
540262	Other yarn, multiple folded (of polyesters).	CTSH + VA 35%
540419	Other synthetic monofilaments of 67 decitex or more.	CTSH + VA 35%
540500	Artificial monofilament of 67 decitex or more.	CTSH + VA 35%
540710	Woven fabrics of synthetic filament yarn (obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters).	CTSH + VA 35%
540720	Woven fabrics of synthetic filament yarn (obtained from strip or the like).	CTSH + VA 35%
540730	Woven fabrics of synthetic filament yarn (fabrics specified in note 9 to section XI).	CTSH + VA 35%
540741	Woven fabrics of nylon filament (Unbleached or bleached).	CTSH + VA 35%
540742	Woven fabrics of nylon filament (Dyed).	CTSH + VA 35%
540743	Woven fabrics of nylon filament (of different colours).	CTSH + VA 35%
540744	Woven fabrics of nylon filament (Printed).	CTSH + VA 35%
540751	Other woven fabrics of textured polyester filaments (Unbleached or bleached).	CTSH + VA 35%
540752	Other woven fabrics of textured polyester filaments (Dyed).	CTSH + VA 35%
540753	Other woven fabrics of textured polyester filaments (of different colours).	CTSH + VA 35%
540754	Other woven fabrics of textured polyester filaments(printed).	CTSH + VA 35%
540761	Other woven fabrics (Containing 85% or more by weight of non-textured polyester filaments).	CTSH + VA 35%
540769	Other woven fabric of non-textured polyester filaments.	CTSH + VA 35%
ex Chapter 55	Man-made staple fibres.	CTSH + VA 40%
550810	Sewing thread of man-made staple fibres(of synthetic staple fibres).	CTSH + VA 35%
550820	Sewing thread of man-made staple fibres(of artificial staple fibres).	CTSH + VA 35%
551511	Other woven fabrics of polyester staple fibres (Mixed mainly or solely with viscose rayon).	CTSH + VA 35%
551512	Other woven fabrics of polyester staple fibres (Mixed mainly or solely with man-made filaments).	CTSH + VA 35%
5516	Woven fabrics of artificial staple fibres.	CTSH + VA 35%

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
Chapter 56	Wadding, felt and nonwovens; special yarns; twine; cordage, ropes and cables and articles thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings.	CTH + VA 40%
Chapter 58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery.	CTH + VA 40%
Chapter 59	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use.	CTH + VA 40%
Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics.	CTH + VA 40%
Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted.	CTH + VA 40%
Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted.	CTH + VA 40%
Chapter 63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags.	CTH + VA 40%
Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles.	CTH + VA 40%
Chapter 65	Headgear and parts thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair.	CTSH + VA 40%
Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials.	CTSH + VA 40%
Chapter 69	Ceramic products.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 70	Glass and glassware.	CTSH + VA 40%
7010	Carboys, bottles, flasks, jars, pots, phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the conveyance or packing of goods; preserving jars of glass; stoppers, lids and other closures, of glass.	CTSH + VA 30%
ex Chapter 71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin.	CTSH + VA 40%
7102	Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set.	CTSH + VA 6%
7103	Precious stones (other than diamonds).	CTSH + VA 20%
7106	Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form.	CTSH + VA 3% (For silver bars in different denominations Certified Oman/India good delivery)
710812	Other unwrought forms of gold.	Certified Oman/ India good delivery gold bars in different denomination
711011	Unwrought or powder form of platinum.	CTSH + VA 3%
711019	Platinum in other forms.	CTSH + VA 3%
ex 711311	Silver Filigree work (plain).	CTSH + VA 3.5%
ex 711311	Silver Jewellery set with gems (studded).	CTSH + VA 6%
ex 711311	Other articles of silver jewellery (plain).	CTSH + VA 6%
ex 711311	Parts of plain silver jewellery.	CTSH + VA 3.5%
ex 711319	Jewellery of gold unset.	CTSH + VA 3.5%
ex 711319	Jewellery of gold set with pearls.	CTSH + VA 6%
ex 711319	Jewellery of gold set with diamonds.	CTSH + VA 7%
ex 711319	Jewellery of gold set with precious and semi- precious stones other than diamonds.	CTSH + VA 6%
ex 711319	Jewellery of platinum unset.	CTSH + VA 3.5%

HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
ex 711319	Parts of plain gold jewellery.	CTSH + VA 3.5%
ex 711319	Articles of other precious metal.	CTSH + VA 3.5%
7118	Coins.	CTH + 1.5% VA
ex Chapter 72	Iron and steel.	CTSH + VA 40%
7206-7229	Iron and steel products.	Melt and Pour in the Parties
Chapter 73	Articles of iron or steel.	CTSH + VA 40%
Chapter 74	Copper and articles thereof.	CTH+VA 40%
Chapter 75	Nickel and articles thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 76	Aluminium and articles thereof.	CTH+VA 45%
Chapter 78	Lead and articles thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 79	Zinc and articles thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 80	Tin and articles thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal.	CTSH + VA 40%
Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal.	CTSH + VA 40%
Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles.	CTH + VA 40%
Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds.	CTSH + VA 40%
ex Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof.	CTH + VA 45%
8716	Trailers and Semi-Trailers.	CTSH + VA 40%
Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 89	Ships, boats and floating structures.	CTSH + VA 40%
Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof.	CTSH + VA 40%
Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles.	CTH + VA 40%
Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings.	CTH + VA 40%
Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof.	CTH + VA 40%
Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles.	CTSH + VA 40%
Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques.	CTSH + VA 40%

Annexure-C

[See sub-rule (1) of rule 15]
(Certificate of Origin Template)

Certificate of Origin
Preferential Certificate of Origin
India – Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement

Certificate No:

Date of Issue:

Exporter (Name, Full Address including Country, CR/IEC No.):			Producer (Name & Full Address including Country):	
3. Consignee(Name, Full Address, Country):			4. Remarks:	5. Cumulation (Yes/No)
6. Transport Details			7. Number & Date of Invoice:	
8. HS Code (6 Digits)	9. Description of Goods	10. Origin Criteria (WO or PSR)	11. Marks & Number of Package	12. Gross Weight or other Quantity (With Unit)
13. CERTIFICATION BY THE ISSUING AUTHORITY Date: Stamp:			14. DECLARATION BY THE EXPORTER Signature: Stamp: Date:	

NOTES ON CERTIFICATE OF ORIGIN TEMPLATE

- The Certificate of Origin shall be completed in the English language.
- All Boxes (except Box. No. 2 and 4) are mandatory.
- If the Certificate of Origin is retrospectively issued, the exporter shall mandatorily mention "Issued Retrospectively" in Box 4, along with the corresponding Export Documentation Number, which may include the Export Declaration Number or Bill of Lading Number under which the originating products were exported.
- In Box 8 i.e. 'HS Code', 6-Digit level HS Code of the product shall be provided by the exporter.
- In Box 10 i.e. 'Origin Criteria', the exporter shall specify the origin criteria, as follows:
 - "WO" for Wholly Obtained;
 - "PSR" for Product Specific Rules.
- If bilateral cumulation as provided under rule 8 (Bilateral Cumulation) is utilized, then it shall be additionally specified under Box 5 i.e. 'Cumulation' by the Exporter.
- The gross weight or other quantity in Box 12 should be written in numerals along with the corresponding unit of measure.
- In case of third-party invoicing in terms of rule 16 (Third-party Invoicing), the name, address and country of the third party issuing the invoice shall also be specified by the exporter in Box 7, in addition to providing the Invoice No. and Date of Invoice.
- By affixing official stamp and QR code in Box 13, the issuing authority certifies that on the basis of control carried out by the issuing authority, the declaration made by the exporter in the Certificate of Origin is correct.
- By signing the Declaration under Box 14, the exporter certifies to the truthfulness and accuracy of the contents of the Certificate of Origin and that products declared meet the conditions required for the issuance of this certificate.